रजिस्टर्ड नं0 HP / 13 / SML / 2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(साधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 30 अगस्त, 2007 / 8 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 27 अगस्त, 2007

संख्या : वि0 स0–लैज–गवर्नमैंट बिल / 1–33 / 2007.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पुलिस

विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2007 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश पुलिस विधेयक, 2007

खण्डों का क्रम

खण्ड :

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय–2

राज्य पुलिस सेवा का गठन और संगठन

3. राज्य के लिए एक पुलिस सेवा ।
4. राज्य पुलिस सेवा का गठन और संरचना ।
5. पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति।
6. पुलिस महानिदेशक के चयन की पद्धति और कार्यकाल।
7. विधि सलाहकार और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति।
8. पुलिस परिक्षेत्रों (जोनज) और रेंजों का सृजन।
9. पुलिस जिले।
10. जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठों और उप–मण्डलों का सृजन।
11. पुलिस थाने।
12. पुलिस कृत्यकारियों की पदावधि।
13. अध्यारोही लोक महत्व के मामलों में समन्वय।
14. सामान्य प्रशासन।
15. रेलवे पुलिस।
16. राज्य अन्वेषण और गुप्तचर विभाग।
17. तकनीकी और समर्थक सेवाएं संगठन।

18. राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के निदेशक और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति।
19. विशेष पुलिस अधिकारी।
20. अतिरिक्त पुलिस की तैनाती (अभिनियोजन)।
21. अभिलेखों और विवरणियों का रख–रखाव।
22. अनुसंधान और विकास।

अध्याय–3

सिविल पुलिसः नियन्त्रण, कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व

23. भर्ती।
24. प्रथम नियुक्ति पर शपथ या प्रतिज्ञान।
25. नियुक्ति का प्रमाण पत्र।
26. रैंक की वर्दी और बैज।
27. आयुध (शस्त्र) और गोला बारूद का मापमान (स्केल)।
28. नियन्त्रण और पर्यवेक्षण।
29. आचरण और अनुशासन।
30. अश्वारोही पुलिस।

अध्याय–4

सशस्त्र पुलिस

31. जिला सशस्त्र रिजर्व और राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनें।
32. भूमिका और कृत्य।
33. सशस्त्र पुलिस संगठन की संरचना।
34. बटालियनों और सशस्त्र रिजर्वों के बीच चक्रानुक्रम (रोटेशन)।
35. प्रथम नियुक्ति पर शपथ या प्रतिज्ञान।
36. नियुक्ति का प्रमाणपत्र।

37. रैंक की वर्दी और बैज।
38. आचरण और अनुशासन।
39. प्रशिक्षण।
40. तैनाती (अभिनियोजन)।
41. आयुध (शस्त्र), उपस्कर, गतिशीलता (मोबिलिटि), संसूचना आदि।
42. वार्षिक रिपोर्ट।

अध्याय–5

प्रशासन और अधीक्षण

43. पुलिस का प्रशासन।
44. महानिदेशक की शक्तियां और उत्तरदायित्व।
45. राज्य सरकार में राज्य पुलिस के अधीक्षण का निहित होना।
46. राज्य पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजनाएं (प्लान), पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के उद्देश्य और प्राथमिकताएं।
47. पुलिस के कार्य मूल्यांकन हेतु क्रियाविधि (मेकॅनिज्म)।
48. राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना।
49. बोर्ड की संरचना।
50. गैर सरकारी सदस्यों के चयन के लिए पैनल (नामिका)।
51. निरर्हताएं।
52. गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि और पारिश्रमिक ।
53. राज्य पुलिस बोर्ड के कृत्य।
54. कारबार का संव्यवहार।
55. बोर्ड के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट।
56. पुलिस स्थापना समितियां।
57. पुलिस गजट।
58. वित्तीय प्रबन्धन।
59. सराहनीय सेवा को मान्यता।

अध्याय–6

पुलिस की भूमिका, कृत्य,कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

60. पुलिस की भूमिका और कृत्य।
61. पुलिस के सामाजिक उत्तरदायित्व।
62. पुलिस सेवा के कर्त्तव्य।
63. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किसी अधीनस्थ अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन स्वयं कर सकेगा।
64. सभी व्यक्ति पुलिस अधिकारी के युक्तियुक्त निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
65. गिरफ्तारी और निरूद्ध करना।
66. पुलिस अधिकारियों के लिए प्रतिषिद्ध आचरण।

अध्याय–7

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस तैनाती (पोलिसिंग)

67. ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस सेवाएं।
68. हलका (बीट) अधिकारी के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व।
69. ग्राम पंचायत को सहायता ।
70. पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी और पर्यवेक्षण पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्राम के दौरे।
71. परामर्शात्मक क्रियाविधि (मेकॅनिज्म)।

अध्याय–8

शहरी क्षेत्रों में पुलिस तैनाती (पोलिसिंग)

72. शहरी पुलिस जिलों, उपमण्डलों और पुलिस थानों का गठन।
73. शहरी क्षेत्रों में पुलिस के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व।

अध्याय–9

लोक व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा

74. लोक व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा और आपदा प्रबन्धन।
75. विशेष सुरक्षा परिक्षेत्रों (जोनज) की घोषणा।
76. विशेष सुरक्षा परिक्षेत्रों (जोनज) का प्रशासन।

अध्याय–10

आपराधिक अन्वेशण

77. अपराध की रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण।
78. जिला पुलिस द्वारा अन्वेषण।
79. उप–मण्डल पुलिस अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण।
80. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्यवेक्षण।
81. अन्य अपराधों का अन्वेषण।
82. राज्य गुप्तचर विभाग (स्टेट सी.आई.डी.)।
83. न्याय सम्बन्धी (फॅरेनसिकज)।
84. अपराध और फॅरेनसिक डाटा बैंकों का रख–रखाव।
85. गोपनीयता और उचित अन्वेषण के लिए आदरभाव।

अध्याय–11

विनियमन, नियन्त्रण और अनुशासन

86. कतिपय पद्धतियों का प्रतिषेध।
87. पुलिस अधिकारी द्वारा अनुशासन भंग और अनुशासनिक अवचार।
88. अनुशासनिक शास्तियां।
89. निलम्बन।
90. दण्ड के आदेशों की अपील।
91. पुलिस अधिकारियों के लिए अलग से नियम।
92. पुलिस अधिकारियों का सदैव कर्त्तव्य पर होना।

अध्याय–12

पुलिस की जवाबदारी

93. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण।
94. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण।
95. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना।
96. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य।
97. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट।
98. शिकायतकर्ता के अधिकार।
99. पुलिस और राज्य के अन्य अभिकरणों के कर्त्तव्य।
100. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने का वर्जन।
101. राज्य पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा अनुपालन संपरीक्षा (परफारमेन्स आडिट)।
102. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
103. निधि सुलभ कराना (फंडिंग)।

अध्याय–13

कल्याण और शिकायत प्रतितोष क्रियाविधि (मेकॅनिज्म)

104. कैरियर प्रगति।
105. कल्याण समिति।
106. जोखिम राशि (बीमा कवरेज), अस्पताल आदि।
107. शिकायत प्रतितोष।
108. काम के घण्टे।

अध्याय–14

अपराध, शास्तियां और शक्तियां

109. सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन।

110. विहित शर्तो का अतिक्रमण करने वाली सभाएं और जुलूस।
111. सार्वजनिक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए निदेश।
112. सार्वजनिक स्थानों को आरक्षित करने तथा बैरियर स्थापित करने की शक्ति।
113. सार्वजनिक स्थानों में और इनके निकट संगीत तथा अन्य ध्वनि प्रणाली (साउन्ड सिसट्मज) के प्रयोग का विनियमन।
114. सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर कतिपय अपराधों की बाबत पुलिस अधिकारियों की शक्तियां।
115. आदेशों या निदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति।
116. जिला के मजिस्ट्रेट के नियन्त्रण की व्यावृत्ति।
117. पुलिस अधिकारी का, अदावाकृत सम्पत्ति को अपने भारसाधन में लेना।
118. पुलिस के कार्य में बाधा डालना।
119. पुलिस वर्दी का अप्राधिकृत प्रयोग।
120. पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाणपत्र आदि अभ्यर्पित करने से इन्कार।
121. मिथ्या या भ्रामक कथन करना।
122. गिरफ्तारी, तलाशी, अभिग्रहण और हिंसा।
123. यह अभिवचन कि कार्य वारंट के अधीन किया था।
124. पुलिस अधिकारियों का अभियोजन।
125. अन्य विधियों के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन।
126. कतिपय मामलों का संक्षिप्त निपटारा।
127. शास्तियों और जुर्मानों की वसूली।
128. परिसीमा।
129. निदेशों और सार्वजनिक सूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए प्रक्रिया।

अध्याय–15

प्रकीर्ण

130. फीस और पुरस्कारों का निपटारा।
131. आदेशों और अधिसूचनाओं को साबित करने का ढंग।
132. नियमों और आदेशों की विधिमान्यता।
133. रिक्तियों के प्रभार रखने वाले या उनके उत्तरवर्ती अधिकारियों का शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होना।
134. अनुज्ञप्तियां और शर्तें विनिर्दिष्ट करने की लिखित अनुज्ञा।

135. अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण और इसके परिणाम।
136. सार्वजनिक सूचनाएं (नोटिस) कैसे दी जाएंगी।
137. सक्षम प्राधिकारी की सहमति उसके हस्ताक्षर से लिखित दस्तावेज द्वारा साबित की जा सकेगी।
138. सूचनाओं (नोटिसों) पर हस्ताक्षर स्टाम्पित हो सकेगें।
139. कठिनाई दूर करने की शक्ति।
140. व्यथित व्यक्ति, किसी भी नियम या आदेश को बातिल (निष्प्रभाव) करने, उलटने या परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा।
141. नियम बनाने की शक्ति।
142. विनियम बनाने की शक्ति।
143. स्थायी आदेश जारी करने की शक्ति।
144. निरसन और व्यावृत्तियां।
145. 2007 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां।

अनुसूचियां।

2007 का विधेयक संख्यांक 8

हिमाचल प्रदेश पुलिस विधेयक, 2007

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

पुलिस की स्थापना और प्रबन्धन से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक।

राष्ट्र की आधारभूत निष्ठा विधि सम्मत शासन के प्राधान्य तथा पुलिस में है जो विधि के संरक्षकों के रूप में विधि सम्मत शासन की अभिवृद्धि अवश्यम्भावी करे और मानव अधिकारों के लिए सम्यक् सम्मान के साथ–साथ राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा को सम्यक् महत्व देते हुए लोगों को निष्पक्ष और दक्षतापूर्ण सेवा प्रदान करें;

पुलिस को व्यावसायिक (पेशेवर) रूप से संगठित करने तथा बाहरी प्रभावों से मुक्त रखने की आवश्यकता है ताकि इसे नागरिकों द्वारा सम्मान दिया जाए और विधि के लिए इसकी जवाबदारी हो;

पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) की उभरती चुनौतियों और राज्य की सुरक्षा के लिए सम्बद्धता के साथ–साथ बेहतर शासन सुनिश्चित करने और मानव अधिकारों को सम्मान देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुलिस की भूमिका, कर्त्तव्यों और दायित्वों को स्पष्टतः परिभाषित करना समीचीन है;

पुलिस को व्यावसायिक रूप से दक्ष, प्रभावी और जिम्मेदार अभिकरण की हैसियत से कार्य करने के लिए समर्थ बनाने हेतु समुचित रूप से सशक्त करना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

lf{kIr uke] ikjEHk vkj foLrkjA

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 है।

(2) यह 16 जुलाई, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल राज्य पर है।

ifjHkk"kk,A

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो––

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(ख) "पशु" के अन्तर्गत गाएं, भैंसे, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़ें, बकरियां और सुअर हैं;

(ग) "आयुक्त" से राजस्व मण्डल का मण्डल आयुक्त अभिप्रेत है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से, यथास्थिति, इस अधिनियम या केन्द्रीय सरकार के लागू नियमों के अधीन विहित किया जाने वाला प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "आपराधिक अवचार" से ऐसा अवचार अभिप्रेत है जो प्रवृत्त किसी दंड विधि के अधीन अपराध है;

(च) "जिला" या "राजस्व जिला" से हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन गठित जिला अभिप्रेत है;

(छ) "निधि" से इस अधिनियम की धारा 130 के अधीन स्थापित निधि अभिप्रेत है;

(ज) "राजपत्रित पुलिस अधिकारी" से सहायक पुलिस अधीक्षक या उप–पुलिस अधीक्षक या इसके ऊपर की पंक्ति का पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) "विद्रोह" से राज्य या राष्ट्र के विरुद्ध राजनैतिक उद्देश्य से जनसंख्या के समूह या वर्ग द्वारा सशस्त्र संघर्ष (लड़ाई) करना है, जिसके अन्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्र से राज्य के किसी भाग का पृथक्करण भी है;

(ञ) "आंतरिक सुरक्षा" से राज्य की एकता और अखण्डता का राष्ट्रविरोधी ताकतों से परिरक्षण अभिप्रेत है;

(ट) "विपक्षी नेता" से विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है और मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता न होने की दशा में एकल बड़े विपक्षी समूह के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति इसके अन्तर्गत है;

(ठ) "युयुत्सु (मिलिटेन्ट) क्रियाकलाप" के अन्तर्गत राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विस्फोटकों, ज्वलनशील पदार्थों, अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर हथियारों या परिसंकटमय पदार्थों का प्रयोग करने वाले समूह का कोई हिंसात्मक क्रियाकलाप है;

(ड) "मजिस्ट्रेट" से जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 के अधीन नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उप–मण्डल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी हैं;

(ढ) "अवचार" से पुलिस अधिकारी का ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रतिषिद्ध है या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट आचरण के स्तर के अनुसार नहीं है या इस अधिनियम के अधीन पुलिस

अधिकारी को दी गई भूमिका, कृत्यों या उत्तरदायित्वों के अनुसार नही है;

(ण) "अधिसूचना" से उचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(त) "अराजपत्रित पुलिस अधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त ग्रेड-I या ग्रेड-II का अराजपत्रित पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;

(थ) "अपराध" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय बनाया गया कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है;

(द) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ध) "संगठित अपराध" से विधिविरूद्ध अभिलाभ के सामान्य आशय के अनुसरण में व्यक्तियों के समूह द्वारा किया गया अपराध अभिप्रेत है;

(न) "लोक आमोद या लोक मनोरंजन के स्थान" से ऐसे सार्वजनिक स्थान अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा लोक आमोद या लोक मनोरंजन के स्थान घोषित किए जाएं;

(प) "पुलिस जिला" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 9 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा पुलिस जिला घोषित किया जाए;

(फ) "पुलिस अधिकारी" से राज्य के लिए पुलिस सेवा का कोई भी सदस्य अभिप्रेत है;

(ब) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(भ) "पुलिस संगठन" से इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुलिस सेवा के विभिन्न विंग (स्कन्ध) अभिप्रेत हैं;

(म) "सार्वजनिक स्थान" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसमें लोगों (जनता) की, संदाय पर या निःशुल्क पहुंच है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं––

(i) सार्वजनिक भवन, मण्डियां, रेलगाड़ियां, बसें और संस्मारक तथा उनकी प्रसीमा; और

(ii) कोई स्थान जिसमें लोगों (जनता) की, पानी लेने, नहाने या धोने या आमोद–प्रमोद के प्रयोजनों के लिए पहुंच है; और

(iii) ऐसे अन्य स्थान जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं;

(य) "रेंज या पुलिस रेंज" से इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन सृजित रेंज अभिप्रेत है;

(य क) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(य ख) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(य ग) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(य घ) "सेवा कम्पनियों" से राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनें और जिला सशस्त्र रिजर्व की यूनिटें अभिप्रेत हैं जो सिविल पुलिस की सहायता के लिए विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात की गई हैं;

(य ङ) "सेवा या पुलिस सेवा" से इस अधिनियम के अधीन गठित पुलिस सेवा अभिप्रेत है;

(य च) "स्थायी आदेश" से पुलिस महानिदेशक द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुरूप जारी विशेष या साधारण आदेश अभिप्रेत है;

(य छ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(य ज) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(य झ) "आंतकवादी क्रियाकलाप" से समाज में या उसके किसी वर्ग में आंतकवाद फैलाने के उद्देश्य से या विधि द्वारा स्थापित सरकार को आंतकित करने के आशय से विस्फोटकों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर हथियारों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के अन्य पदार्थों का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का कोई क्रियाकलाप (गतिविधि) अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में उनके हैं ।

अध्याय–2

राज्य पुलिस सेवा का गठन और संगठन

jkT; d fy, ,d ifyl lsokA

3. (1) राज्य के लिए 'हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा' के नाम से एक पुलिस सेवा होगी और ऐसी सेवा के सदस्य सशस्त्र पुलिस या किसी भी अन्य विशिष्ट विंग सहित सेवा की किसी भी शाखा (ब्रांच) में तैनाती (पोस्टिंग) के लिए दायी होंगे।

(2) पूरे राज्य में पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा और इसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा

प्राधिकृत हो उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय या किसी पुलिस कर्मचारी को अतिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं होगा या राज्य सरकार द्वारा सशक्त नहीं किया जाएगा।

(3) पुलिस अधिकारी सभी समयों पर विधि के लिए जवाबदार होंगे और लोगों की विधिपूर्ण आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार (उत्तरदायी) होंगे तथा नैतिक आचरण और सत्यनिष्ठा की कड़ी संहिताओं का अनुपालन करेंगे।

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को तीन मास का लिखित में नोटिस दिए बिना अपने पद का त्याग नहीं करेगा।

jkT; ifyl lsok dk xBu vkj lajpukA

4. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य की पुलिस सेवा, सिविल पुलिस और सशस्त्र पुलिस के रूप में वर्गीकृत की जाएगी और प्रत्येक में निम्नलिखित में की समुचित संख्या होगी :–

(i) आरक्षियों (कांस्टेबलज) और मुख्य आरक्षियों से समाविश्ट ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी;

(ii) सहायक उप–निरीक्षकों, उप–निरीक्षकों तथा निरीक्षकों से समाविष्ट ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी; और

(iii) राजपत्रित राज्य पुलिस सेवा अधिकारी; और

(iv) राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ।

(2) राज्य सरकार सिविल और सशस्त्र पुलिस में विभिन्न रैंकों (पंक्तियों) की संख्या ऐसी रीति में अवधारित करेगी जो विहित की जाएं।

(3) ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की जिला और राज्य संवर्गों (काडर) में भर्तियां पुलिस भर्ती बोर्डों के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएंगीः

परन्तु पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के साधारण आदेशों के अधीन ग्रेड-II के पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण राज्य संवर्ग (काडर) से जिला संवर्ग (काडर) और विपर्ययेन कर सकेगा।

(4) ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के रैंकों (पंक्तियों) के भीतर प्रोन्नतियां, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएंगी।

(5) ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के रैंकों (पंक्तियों) के लिए भर्ती और प्रोन्नतियां, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएंगीः

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के पचास प्रतिशत तक, कम से कम सात वर्ष की सेवा वाले और सीधी भर्ती हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे।

(6) राजपत्रित राज्य पुलिस सेवा के लिए नियुक्तियां, राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएंगी।

(7) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राज्य में पद धारण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे।

(8) भारतीय पुलिस सेवा से भिन्न राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी समय–समय पर विहित की जाएं।

ify l egkfun'kd vkj vU; vf/kdkfj;k dh fu;fDrA

5. (1) पुलिस सेवा के सम्पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए, राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों और कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा जिसके ऐसे उत्तरदायित्व और ऐसे प्राधिकार होंगे जैसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के द्वारा या अधीन उपबंधित किए जाएं।

(2) पुलिस महानिदेशक का पद, राज्य की पुलिस सेवा के अधिक्रम (हाईअरार्की) में वरिष्ठतम पद होगा और कोई भी अधिकारी, जो पुलिस महानिदेशक

के पद के पदधारी से पंक्ति (रैंक) में वरिष्ठ या समकक्ष हो, राज्य पुलिस संगठन के भीतर किसी पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन, एक या अधिक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और उतने ही पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप–महानिरीक्षक और सहायक पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त कर सकेगी जितने यह आवश्यक समझे।

(4) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेश आदेश द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप–महानिरीक्षक या सहायक पुलिस महानिरीक्षक को, पुलिस महानिदेशक की उसके कृत्यों, कर्त्तव्यों, उत्तरदायित्वों, प्राधिकार और शक्तियों के पालन तथा प्रयोग में, ऐसी रीति में और ऐसे विस्तार तक, सहायता करने के लिए निदेश दे सकेगी जैसा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(5) पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के साधारण और विशेष आदेश के अधीन समय–समय पर, साधारण या विशेष स्थायी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व सौंप सकेगा।

पुलिस महानिदेशक के चयन की पद्धति और कार्यकाल।

6. राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति, राज्य संवर्ग में भारतीय पुलिस सेवा के रैंक (पंक्ति) के लिए पैनल में रखे अधिकारियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस प्रयोजन के लिए गठित तीन सदस्यीय छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर करेगी। छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति कम से कम तीन उपयुक्त व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और सरकार द्वारा, छानबीन समिति को नया पैनल तैयार करने को कहा जा सकेगा यदि इसके विचार में पैनल में से कोई भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं है । ऐसे मामले, जहां रिक्ति अप्रत्याशित है, के सिवाए, छानबीन समिति अपनी सिफारिश, रिक्ति उद्भूत होने से पूर्व करेगीः

परन्तु यदि छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति इस निष्कर्ष, जिसके लिए कारण लिखित में अभिलिखित किए जाने हैं, पर पहुंचती है कि राज्य संवर्ग (काडर) में कोई उपयुक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है तो यह अन्य राज्य संवर्गों के पैनल में रखे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की उपयुक्तता का निर्धारण, उनकी रजामंदी और केन्द्रीय सरकार की सहमति के अध्यधीन, कर सकेगी।

(2) छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति स्वंय अपनी प्रक्रिया प्रकल्पित कर सकेगी और राज्य संवर्ग (काडर) में भारतीय पुलिस सेवा के समस्त पैनल में रखे अधिकारियों के नामों पर विचार करेगी तथा निम्नलिखित आधार पर निर्धारण करेगी––

(i) कार्य आकलन रिपोर्टें;

(ii) केन्द्रीय पुलिस संगठनों में कार्य के अनुभव सहित वृत्तिक पुलिस कार्य से सुसंगत अनुभव की श्रेणी (रेंज);

(iii) किसी आपराधिक या अनुशासनिक कार्यवाही में अथवा भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता के आधार पर अधिकारी के अभ्यारोपण के सम्बन्ध में सेवा का स्वच्छ अभिलेख; और

(iv) शौर्य, विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए पदक प्रदान करने हेतु दी जा रही सम्यक् वरीयताः

परन्तु जहां समिति का यह निष्कर्ष है कि राज्य सवंर्ग में कोई भी उपयुक्त भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो यह उपधारा (1) के परंतुक के अनुसार अन्य राज्य संवर्गों के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की बाबत अपना निर्धारण करेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त पुलिस महानिदेशक की पदावधि अधिवर्षिता तक होगी जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त बनाए गए नियमों में उपबंधित की जाएः

परन्तु राज्य सरकार द्वारा, निम्नलिखित के परिणामस्वरूप, कारण विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित आदेश के आधार से पदधारी को उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व पद से हटाया जा सकेगा––

(i) न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में आरोपों की विरचना पर;

(ii) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों या किन्हीं अन्य सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अधीन आरोप–पत्र जारी होने पर; या

(iii) सेवा से निलंबन पर; या

(iv) शारीरिक या मानसिक रोग के कारण असमर्थता होने पर या अन्यथा पुलिस महानिदेशक के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने में आयोग्य होने परः

(v) व्यापक लोक हित में प्रशासनिक अत्यावश्यकताएं :

परन्तु यह और कि निम्नलिखित के कारण, राज्य सरकार द्वारा अधिकारी को पद्भारमुक्त करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा–

(i) ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसी तैनाती के लिए अपनी सहमति दिए जाने के अध्यधीन, केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकार या अन्तरराष्ट्रीय संगठन के अधीन पद पर नियुक्ति होने पर; या

(ii) सेवा से त्यागपत्र देने पर या स्वैच्छिक सेवानिवृति पर।

विधि सलाहकार और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति।

7. राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक को उसके कर्त्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन में क्रमशः विधिक और वित्तीय मामलों में सहायता करने के लिए ऐसी पंक्ति के विधि सलाहकार और वित्तीय सलाहकार नियुक्त कर सकेगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं।

पुलिस परिक्षेत्रों (ज़ोनज) और रेंजों का सृजन।

8. (1) राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, राज्य के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का, प्रत्येक के अपने मुख्यालय सहित, एक या अधिक पुलिस परिक्षेत्रों (ज़ोनज) में गठन कर सकेगी। दो या अधिक पुलिस रेंजो से समाविष्ट प्रत्येक परिक्षेत्र (ज़ोन) का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति के अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो परिक्षेत्र (ज़ोन) के

पुलिस प्रशासन के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट करेगा।

(2) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक के अपने–अपने मुख्यालय सहित, उतनी ही पुलिस रेंजों का सृजन कर सकेगी, जितनी आवश्यक समझी जाएं। दो या अधिक पुलिस जिलों से गठित प्रत्येक रेंज का नेतृत्व पुलिस उप–महानिरीक्षक की पंक्ति के अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रेंज के पुलिस प्रशासन के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा संबद्ध परिक्षेत्र (ज़ोन) के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक को रिपोर्ट करेगा।

पुलिस ज़िले।

9. राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, इसके मुख्यालय सहित, राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को पुलिस जिला घोषित कर सकेगी। ऐसे जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन पुलिस अधीक्षक के प्रभार के अधीन होगा,जिसे उतने ही पुलिस के अतिरिक्त, सहायक या उप–अधीक्षकों द्वारा सहायता दी जाएगी जितने, प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों के अध्यधीन, आवश्यक समझे जाएं:

परन्तु राज्य सरकार, लोक हित में और कारणों को अभिलिखित करते हुए, जिले के लिए ऐसे पुलिस के अतिरिक्त, सहायक या उप–अधीक्षक को, जितने आवश्यक हो, छह मास से अनधिक की अवधि के लिए तैनात (पोस्ट) कर सकेगी।

जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठों और उप–मण्डलों का सृजन।

10. (1) ऐसे गम्भीर अपराधों जैसे अधिसूचित किए जाएं, का शीघ्र और वैज्ञानिक अन्वेषण सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, अन्वेषण के पर्यवेक्षण और मानीटरिंग हेतु तथा न्यायालय में ऐसे मामलों के अभियोजन के बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक पुलिस जिले में विशेष प्रकोष्ठ का सृजन करेगी, जिसका नेतृत्व पुलिस के अतिरिक्त, सहायक या उप–अधीक्षक की पंक्ति के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पुलिस जिलों को, प्रत्येक इसके मुख्यालय सहित, उतने ही उप–मण्डलों में जितने आवश्यक समझे जाएं विभाजित कर सकेगी, जो सहायक या उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के अधिकारी के प्रभार के अधीन होगा, जिसे उप–मण्डल पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाएगा।

11. (1) ऐसे सन्नियमों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा विधि और व्यवस्था की बाबत जनसंख्या, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, अपराध–दर, कार्यभार (वर्कलोड) तथा पुलिस थाने में पहुंचने के लिए निवासियों द्वारा तय की गई दूरियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे गांवों पर, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधिकारिता के साथ, पुलिस जिलों में उतने ही पुलिस थानों का सृजन कर सकेगी जितने आवश्यक समझे जाएं: पुलिस थाने।

परन्तु सरकार, पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के भीतर, ऐसे अन्य अराजपत्रित अधिकारियों की संख्या सहित जैसी सरकार नियत करे, पुलिस चौकी का सृजन कर सकेगी, जिसका नेतृत्व ग्रेड-I अराजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाएगा और ऐसी पुलिस चौकी सम्बद्ध पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के सम्पूर्ण नियंत्रण में होगी तथा पुलिस थाने का भाग समझी जाएगी।

(2) पुलिस उप–मण्डल को, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए दो या अधिक पुलिस थाने सौंपे जा सकेंगे।

(3) प्रत्येक पुलिस थाने में, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में, एक थाना प्रभारी (एस. एच. ओ.) होगा जो पुलिस उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो:

परन्तु अधिक जनसंख्या या अधिक अपराध–दर वाले पुलिस थानों को पुलिस निरीक्षक की पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के भारसाधन के अधीन रखा जाएगा।

(4) राज्य सरकार, सभी समयों पर, ऐसे सन्नियमों पर आधारित, जो विहित किए जाएं, प्रत्येक पुलिस थाने में कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

(5) राज्य सरकार, प्रत्येक पुलिस थाने में जैसे कि स्वागत एवं आगंतुक कक्ष, समुचित परिकल्पना के परिप्रश्न कक्ष, पुरुष और महिलाओं के लिए पृथक प्रसाधन और पृथक हवालात सहित समस्त आवश्यक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी।

(6) व्यावसायिक (प्रोफेशनल) और वैज्ञानिक अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में ''आपराधिक, अन्वेषण इकाई'' (सी आई यू) के नाम से पृथक अन्वेषण खण्ड होगा, जिसके कर्मचारिवृन्द में ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की समुचित संख्या सहित ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों में से उतनी ही संख्या में अन्वेषण अधिकारी होंगे, जितनी अवधारित की जाए।

(7) अन्वेषण अधिकारियों के लिए अर्हताएं और अनुभव पुलिस महानिदेशक द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(8) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिला मुख्यालयों और उप–मण्डल मुख्यालयों में प्रत्येक पुलिस थाने और ऐसे अन्य पुलिस थाने, जो समय–समय पर अधिसूचित किए जाएं, में महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराधों की शिकायतें अभिलिखित करने के लिए महिला कर्मचारियों से युक्त महिला पुलिस एवं बाल प्रकोष्ठ होगा।

(9) प्रत्येक पुलिस थाना, अपराध की घटना, गिरफ्तारी, निरोध, निर्मुक्ति, दोषसिद्धि और दोषमुक्ति से सम्बन्धित सूचना के साथ–साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सार्वजनिक किए जाने हेतु समस्त जानकारी, तथा इस प्रकार प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित पुलिस महानिदेशक के समस्त स्थायी आदेश प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगाः

परन्तु जानकारी ऐसी रीति में प्रदर्शित की जाएगी जैसी पुलिस महानिदेशक, समय–समय पर साधारण या विशेष स्थायी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और पुलिस उप–महानिरीक्षक अपनी रेंज के भीतर ऐसे स्थायी आदेश के अध्यधीन, ऐसी जानकारी के प्रदर्शन हेतु, जो आवश्यक हो, लोक हित में निदेश जारी कर सकेगा।

(10) पुलिस थाना के प्रत्येक भारसाधक अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह साधारण डायरी ऐसे प्ररूप में रखे जैसा विहित किया जाए और उसमें शिकायतें, शिकायतकर्ता का नाम, और लगाए गए आरोप, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, उनके विरुद्ध आरोपित अपराध, अस्त्र–शस्त्र या सम्पत्ति जो

उनके कब्जे में से या अन्यथा ली गई है, और साक्षियों के नाम जिनकी परीक्षा की जानी है, अभिलिखित करेगा।

पुलिस कृत्यकारियों की पदावधि।

12. जब तक इससे पूर्व उच्चतर पद पर प्रोन्नत न किया गया हो तो थाना प्रभारी (एस0एच0ओ0) या उप–मण्डल पुलिस अधिकारी या जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात अधिकारी की न्यूनतम पदावधि सामान्यतः दो वर्ष तथा अधिकतम तीन वर्ष होगीः

परन्तु अधिकारी को उसकी पदावधि के अवसान के पश्चात्, कारणों को अभिलिखित करते हुए, लोक हित में, छह मास तक प्रतिधारित किया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि ऐसे किसी अधिकारी को उसे हटाने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए;

(i) न्यायालय में आपराधिक मामले में आरोप–पत्र दाखिल होने पर; या

(ii) सुसंगत अनुशासनिक नियमों के अधीन मुख्य शास्ति के लिए आरोप–पत्र तामील होने पर; या

(iii) सुसंगत अनुशासनिक नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा से निलंबन पर; या

(iv) प्रशासनिक कारणों से निम्नतर पद पर प्रतिवर्तन पर; या

(v) शीरीरिक या मानसिक रोग के कारण असमर्थता पर या अन्यथा अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में अयोग्य होने पर; या

(vi) व्यापक लोक हित में आपात परिस्थितियों में, दो वर्ष की न्यूनतम पद्‌वधि के अवसान से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अध्यारोही लोक महत्व के मामलों में समन्वय।

13. (1) आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार की ओर से, अपनी अधिकारिता में नोडल और समन्वय प्राधिकारी के रूप में कृत्य करेंगे तथा लोक शांति को संभाव्य प्रभावित करने वाले संकट काल में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाएंगे।

(2) रेंज का पुलिस उप–महानिरीक्षक, मण्डल में विधि और व्यवस्था की स्थिति और लोक शांति में विघ्न डालने के लिए किसी सामूहिक प्रयत्न की संभावना से सम्बन्धित समस्त मामलों की पूर्ण जानकारी आयुक्त को देगा, ताकि ये कृत्यकारी अध्यारोही लोक महत्व के मामलों में, इन कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ रहें।

(3) जिला पुलिस अधीक्षक, जिले में विधि और व्यवस्था की स्थिति और लोक शांति में विघ्न की संभावना से सम्बन्धित समस्त मामलों की पूर्ण जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को देगा तथा पुलिस से सम्बन्धित अध्यारोही लोक महत्व के समस्त मामलों में तत्काल उससे परामर्श करेगा।

(4) उप–मण्डल पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी (एस0 एच0 ओ0), उप–मण्डल या अन्य स्थानीय अधिकारिता में विधि और व्यवस्था की स्थिति और लोक शान्ति में विघ्न की संभावना से सम्बन्धित समस्त मामलों की पूर्ण जानकारी, यथास्थिति, उप–मण्डल मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा तथा पुलिस से सम्बन्धित अध्यारोही लोक महत्व के समस्त मामलों में तत्परता से उससे परामर्श करेगा।

सामान्य प्रशासन।

14. (1) जिले के बेहतर सामान्य प्रशासन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, जिला पुलिस को निम्नलिखित की बाबत, निदेश जारी करना विधिपूर्ण होगा, अर्थात्:––

(i) सरकारी भूमि, सामान्य भूमि (कॉमन लैंड) और वन भूमि पर अधिक्रमण को हटाने सहित भूमि सुधारों के संवर्धन और भूमि विवादों के निपटारे से सम्बन्धित मामले;

(ii) राज्य स्तरीय महत्व की परियोजनाओं, विशिष्टतः विद्युत, उद्योग और पर्यटन सेक्टर से सम्बन्धित मामले;

(iii) जिला के किसी भी भाग में लोक शान्ति एवं प्रशान्ति में व्यापक विघ्न से सम्बन्धित मामले;

(iv) किसी लोक निकाय के निर्वाचन के संचालन से या लोक महत्व के किसी समारोह या कार्यक्रम का आयोजन करने से सम्बन्धित मामले;

(v) प्राकृतिक या मानव–निर्मित आपदाओं या बड़ी दुर्घटनाओं से निपटने से सम्बन्धित मामले;

(vi) किसी बाह्य आक्रमण, आन्तरिक सुरक्षा के लिए धमकी, विद्रोह, बलवों, औद्योगिक या अन्य हड़तालों इत्यादि से उत्पन्न स्थितियों से सम्बन्धित मामले;

(vii) महिलाओं, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के संरक्षण से सम्बन्धित मामले;

(viii) कोई और मामला, जो किसी एक विभाग के कार्यक्षेत्र के भीतर न हो और जिला के लोगों के सामान्य कल्याण को प्रभावित करता हो या न्यायिक निर्णय से उद्भूत हुआ हो जो जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस की सेवाओं का उपयोग करने के लिए बाध्य करता हो; और

(ix) ऐसे अन्य मामले, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर लोक हित में सौंप सकेगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट को, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत पुलिस से साधारण या विशेष प्रकृति की जानकारी या सहायता मांगना विधिपूर्ण होगा और पुलिस अधीक्षक, इस प्रयोजन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी जानकारी और समस्त आवश्यक सहायता देने के लिए कर्त्तव्य द्वारा आबद्ध होगा।

(3) पुलिस अधीक्षक, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत पुलिस सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को, जिला में समस्त या किसी विभाग को, ऐसी सहायता, जो आवश्यक हो सुकर बनाने के लिए निदेश जारी करने हेतु मामला निर्दिष्ट कर सकेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट समुचित निदेश जारी कर सकेगा, जिसका अनुपालन सम्बन्धित विभाग के जिला प्रमुख (हैड) द्वारा बिना आपत्ति या विलम्ब के किया जाएगा।

(4) मण्डल का आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट की कानूनी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने मण्डल के जिला मजिस्ट्रेट को इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी मामले की बाबत साधारण निदेश दे सकेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

रेलवे पुलिस।

15. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राज्य में ऐसे रेलवे क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए , जैसा यह विनिर्दिष्ट करे एक या अधिक विशेष पुलिस जिलों का सृजन कर सकेगी और प्रत्येक ऐसे विशेष जिला के लिए पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप–महानिरीक्षक, पुलिस सहायक महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, एक या अधिक सहायक या उप पुलिस अधीक्षक तथा ऐसे अन्य पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो यह आवश्यक समझे।

(2) ऐसे पुलिस अधिकारी, पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण के अध्यधीन, अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर अवस्थित रेलवे के प्रशासन से संबद्ध पुलिस कृत्यों तथा ऐसे अन्य कृत्यों, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर सौंपे, का निर्वहन करेंगे।

(3) राज्य सरकार, विशेष पुलिस जिले या उसके किसी भाग के भीतर, ऐसे पुलिस कृत्यों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, का निर्वहन करने के लिए और उस जिले में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को सशक्त कर सकेगी, और ऐसा पुलिस अधिकारी, यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे आदेश के अध्यधीन, ऐसी शक्तियों को प्रयोग करते हुए अपने थाने की सीमाओं के भीतर, ऐसे अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी समझा जाएगा।

(4) ऐसे पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन, राज्य के भीतर निहित शक्तियां और विशेषाधिकार प्रदत्त किए जाएंगे तथा वे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी होंगे।

(5) पुलिस अधीक्षक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस धारा के अधीन उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति और कृत्य को अपने अधीनस्थ सहायक या उप पुलिस अधीक्षक को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

राज्य अन्वेषण और गुप्तचर विभाग।

16. (1) राज्य पुलिस संगठन के समन्वय, विश्लेषण और आसूचना के प्रसारण हेतु राज्य आसूचना विभाग होगा और ऐसे अन्तर–राज्य और अन्तर–जिला अपराध तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों, जो पुलिस महानिदेशक द्वारा समय–समय पर सौंपे जाएं, का अन्वेषण करने के लिए राज्य आपराधिक अन्वेषण विभाग होगा।

(2) राज्य सरकार, किसी पुलिस अधिकारी को,जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो, दोनों विभागों का अलग–अलग प्रमुख (हैड) नियुक्त कर सकेगी।

(3) राज्य आपराधिक अन्वेषण विभाग के पास अन्वेषण हेतु सकेन्द्रित सावधानी या विशेष सूविज्ञता के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के अपराध से निपटने के लिए विशेषज्ञीय विंग (स्कन्ध) होंगे तथा इन विंगों (स्कन्धों) के प्रत्येक का नेतृत्व समुचित पंक्ति के राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(4) राज्य आसूचना विभाग के पास, विशिष्ट कार्यों, जैसे सुरक्षा, प्रति–आतंकवाद, प्रति–मिलीटेन्सी (हिंसा), आंतरिक सुरक्षा इत्यादि को समन्वित करने के लिए इसी प्रकार के विशिष्ट विंग (स्कन्ध) होंगे तथा इन विंगों (स्कन्धों) के प्रत्येक का नेतृत्व समुचित पंक्ति के राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(5) राज्य सरकार, राज्य आपराधिक अन्वेषण विभाग और राज्य आसूचना विभाग में विभिन्न रैंकों की संख्या अवधारित करेगी।

तकनीकी और समर्थक सेवाएं संगठन।

17. (1) राज्य सरकार, पुलिस को स्वतन्त्र फरेनसिक (न्याय संबन्धी) रिपोर्टें उपलब्ध करवाने के लिए समर्पित न्याय–विज्ञान (फरेनसिक सांईस) निदेशालय का सृजन करेगी और उसे प्रभावी रूप से बनाए रखेगी, जो न्याय–विज्ञान निदेशालय या पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अधिकथित मार्गदर्शन के अनुसार, समुचित उपस्कर और वैज्ञानिक जनशक्ति सहित राज्य स्तर पर न्यायालयिक (फरेनसिक सांईस) प्रयोगशाला, प्रत्येक पुलिस रेंज के लिए क्षेत्रीय न्यायालयिक (फरेनसिक सांईस) प्रयोगशाला तथा प्रत्येक पुलिस जिला के लिए सचल न्याय विज्ञान (फरेनसिक सांईस) इकाई से गठित होगा।

(2) पुलिस संगठन के समस्त स्तरों पर, विश्वसनीय और समर्पित संचार माध्यमों, सूचना– विज्ञान और अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करने के प्रयोजन हेतु पुलिस संचार माध्यम और तकनीकी सेवाएं निदेशालय होगा जिसका नेतृत्व किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उप–महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो तथा जिसकी सहायता के लिए उतने ही पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप–अधीक्षक होंगे, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य सरकार, इन पदों पर तैनाती के लिए अर्हताएं और अनुभव विनिर्दिष्ट करते हुए भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाएगी।

राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के निदेशक और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति।

18. (1) राज्य सरकार, राज्य स्तर पर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा पुलिस संगठन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के विभिन्न विंग (स्कन्धों) के ग्रेड-II अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, ऐसी संख्या में, जितने आवश्यक हों, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, स्थापित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, किसी पुलिस अधिकारी को, जो महानिरीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का निदेशक और किसी पुलिस अधिकारी को जो उप–महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्रधानाचार्य तथा किसी अधिकारी को, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रत्येक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्थापित अकादमी, महाविद्यालय और विद्यालय में शैक्षिक संस्थाओं के साथ–साथ पुलिस और संबन्धित सेवाओं में संकाय सम्मिलित होगा, जैसे विहित किया जाए तथा अकादमी का निदेशक, राज्य पुलिस बोर्ड को समस्त प्रशिक्षण संस्थानों की ओर से वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्य सरकार, ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों के संकायों के लिए पुलिस और संबंधित सेवाओं में उपलब्ध उत्तम प्रतिभा को आकर्षित और प्रतिधारित करने के लिए धनीय और अन्य प्रोत्साहनों की एक स्कीम तैयार कर सकेगी ।

विशेष पुलिस अधिकारी।

19. (1) राज्य सरकार, पुलिस सेवा की सहायता के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विहित कर सकेगी तथा उनकी नियुक्ति हेतु निबन्धन और शर्तें विहित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अध्यधीन, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतः या विशेषतः सशक्त जिला पुलिस अधीक्षक, अठारह से पैंतीस वर्ष की आयु के किसी हृष्ट–पुष्ट और इच्छुक व्यक्ति को जिसे वह उपयुक्त समझे, अपनी मुद्रा के अधीन, स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी की वही शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां होंगी और उन्हीं कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के लिए दायी होगा तथा उन्हीं प्राधिकारियों के अध्यधीन होगा जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन एक साधारण पुलिस अधिकारी होता हो।

अतिरिक्त पुलिस की तैनाती (अभिनियोजन)।

20. (1) राज्य सरकार के साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से, किसी व्यक्ति या निगमित निकाय द्वारा किए गए उसकी आवश्यकता दर्शित करते हुए आवेदन पर पुलिस जिला के भीतर किसी स्थान पर पुलिस अधिकारियों की ऐसी अतिरिक्त संख्या प्रतिनियुक्त करेगा जो आवश्यक हो और ऐसा अतिरिक्त बल, अनन्य रूप से ऐसे पुलिस अधीक्षक के नियन्त्रण के अधीन होगा तथा आवेदन करने वाले व्यक्ति या निगमित निकाय के प्रभार में होगा । परन्तु ऐसा व्यक्ति या निगमित निकाय, पन्द्रह दिन का नोटिस देकर, ऐसे पुलिस अधिकारियों को वापिस कर सकेगा तथा जो नोटिस की अवधि के अवसान पर प्रभार से निर्मुक्त समझे जाएंगे।

(2) जहां कहीं कोई लोक संकर्म या लोकोपयोगिता या कोई विनिर्माण या वाणिज्यिक समुत्थान प्रचालन में है और पुलिस महानिदेशक को यह प्रतीत होता हो कि लोक संकर्म, लोकोपयोगिता या विनिर्माण या वाणिज्यिकी समुत्थान के कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा हड़ताल या अन्य कार्यवाही की संभावना के कारण, लोक शान्ति या आवश्यक सेवा को बनाए रखने के हित में, ऐसे स्थान में, अतिरिक्त पुलिस बल का अभिनियोजन आवश्यक है, तो राज्य सरकार की सहमति से ऐसे स्थान पर, तब तक के लिए जब तक आवश्यक हो, समुचित अतिरिक्त बल प्रतिनियुक्त कर सकेगा और ऐसे संकर्म, समुत्थान की उपयोगिताओं के प्रबन्धन द्वारा ऐसे अतिरिक्त बल के लिए संदाय करने के आदेश तथा, यथास्थिति, ऐसे लोक संकर्म, लोकोपयोगिता या विनिर्माण या वाणिज्यिक समुत्थान का प्रबन्धन उस पर, तद्नुसार, संदाय करेंगे।

(3) उपरोक्त उपधारा (1) और (2) के अधीन संदेय समस्त धन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 421 और 422 में शास्तियों की वसूली हेतु उपबंधित रीति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय में वाद द्वारा वसूलीय होगा।

अभिलेखों और विवरणियों का रख–रखाव।

21. (1) पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप–महानिरीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक ऐसे अभिलेख बनाए रखेगा और ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) के अध्यधीन पुलिस महानिदेशक विशेष या साधारण स्थायी आदेश द्वारा, पुलिस संगठन के जिला, रेंज (खण्ड) और परिक्षेत्रीय (जोनल) स्तर के अधिकारियों और विशेषज्ञीय स्कन्धों (विंगों) और सशस्त्र पुलिस द्वारा बनाए गए अभिलेख और प्रस्तुत की गई रिपोर्टों और विवरणियों का प्रकार और आरूप (फारमेट) विनिर्दिष्ट कर सकेगा और उसके कम्प्यूट्रीकरण सहित उसके प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

अनुसंधान और विकास।

22. राज्य सरकार सर्वेक्षण करने और अध्ययन करने तथा पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) सेवाओं की दक्षता में सुधार से सम्बन्धित मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने और सिफारिश करने के लिए एक पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो स्थापित कर सकेगी जिसका प्रमुख (हैड) पुलिस संगठन से स्वतन्त्र एक अधिकारी होगा, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो।

अध्याय–3

सिविल पुलिसः नियन्त्रण, कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व

भर्ती।

23. (1) सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस से अन्यथा हिमाचल प्रदेश पुलिस के अधिकारियों से समाविष्ट होगी, और सिविल पुलिस के विभिन्न संवर्गों की संख्या इतनी होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाए।

(2) सिविल पुलिस की भर्ती राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएगी। पुलिस महानिदेशक, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, सिविल पुलिस में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली समस्त अराजपत्रित रिक्तियों के लिए वार्षिक भर्ती संचालित करवाएगा।

(3) प्रत्येक सिविल पुलिस अधिकारी को, प्रारम्भिक भर्ती पर, ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी की दशा में, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, और ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी की दशा में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, तथा राजपत्रित अधिकारियों की दशा में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में, प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि और पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा समय–समय पर राज्य पुलिस बोर्ड के साधारण निदेशों के अध्यधीन, पुलिस महानिदेशक की सिफारिशों पर विहित किया जाएगा।

प्रथम नियुक्ति पर शपथ या प्रतिज्ञान्।

24. प्रत्येक पुलिस अधिकारी प्रथम नियुक्ति पर इस अधिनियम की अनुसूची-I में उपवर्णित प्ररूप में नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे राजपत्रित अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान् करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

नियुक्ति का प्रमाण पत्र।

25. (1) प्रत्येक अराजपत्रित सिविल पुलिस अधिकारी को प्रथम नियुक्ति पर इस अधिनियम की अनुसूची–2 में दिए गए प्ररूप में नियुक्ति का प्रमाण पत्र, ऐकरॅनिम हि0 प्र0 पु0 वाला पद चिन्ह जारी किया जाएगा और जिला संवर्ग के सदस्य के लिए जिला नामावली से और राज्य संवर्ग (काडर) के सदस्य के लिए राज्य नामावली (रोल) से सुभिन्न नामांकन (इनरोलमेट) संख्या जारी की जाएगी।

(2) भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य से भिन्न प्रत्येक राजपत्रित सिविल पुलिस अधिकारी को सेवा में प्रथम नियुक्ति पर ऐकरॅनिम "हि0 प्र0 पु0 से0" वाला पद चिन्ह जारी किया जाएगा।

(3) पुलिस अधिकारी के राज्य पुलिस सेवा के सदस्य न रहने की दशा में, नियुक्ति का प्रमाण–पत्र और पद चिन्ह वापिस ले लिया गया समझा जाएगा और नियुक्ति प्राधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित किया जाएगा और सेवा से उसके निलम्बन की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी के पास जमा करवाया जाएगा।

रैंक की वर्दी और बैज।

26. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, सिविल पुलिस के विभिन्न रैकों के लिए वर्दी और कर्त्तव्यों तथा वर्दी पहनने की बावत प्रोटोकॉल विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा रैंक के बैज और अन्य सुभिन्न बैज जो वर्दी के साथ पहने जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट करेगी।

आयुध (शस्त्र) और गोला बारूद का मापमान (स्केल्)।

27. (1) सिविल पुलिस के आयुधादि को, राज्य सरकार के आदेशों द्वारा उपस्कर सारणी में नियत किया जाएगा और सरकार समय–समय पर आयुधादि के उपापन की बाबत अनुदेश जारी करेगी।

(2) जिलों को शस्त्रों का वितरण पुलिस महानिदेशक के आदेश पर नियत किया जाएगा, जो स्थायी आदेश द्वारा आयुध (शस्त्रों), गोला बारूद, मरम्मत और रख–रखाव हेतु सामग्री के स्टॉक की अभिरक्षा और देखरेख के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और वह रीति जिसमें क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी शस्त्र नष्ट किए जाने है और किसी आयुध (शस्त्र) या गोला बारूद के नष्ट (हानि) होने के मामले में प्रक्रिया अधिकथित करेगा।

नियन्त्रण और पर्यवेक्षण।

28. (1) थाना प्रभारी (एस0एच0ओ0), उसके प्रभार में पुलिस थाना और पुलिस चौकियों के कर्मचारिवष्न्द को कार्य सौंपेगा और उनकी कार्यप्रणाली का नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण करेगा।

(2) उप–मण्डल पुलिस अधिकारी, साधारणतया अपने प्रभार में पुलिस थानों का नियन्त्रण और पर्यवेक्षण करेगा तथा ऐसे निदेश, जैसे आवश्यक हों, जारी करेगा।

(3) जिला पुलिस अधीक्षक, साधारणतया जिला में उप–मण्डल पुलिस अधिकारियों और पुलिस थानों तथा पुलिस चौकियों के कार्य का नियन्त्रण और पर्यवेक्षण करेगा तथा ऐसे निदेश, जैसे आवश्यक हों, जारी करेगा।

(4) रेंज उप–महानिरीक्षक और परिक्षेत्र (जोनल) महानिरीक्षक साधारणतया क्रमशः रेंज और परिक्षेत्र (जोन) में जिलों के कार्य का नियन्त्रण और पर्यवेक्षण करेगा।

(5) पुलिस महानिदेशक, अन्य सिविल पुलिस इकाईयों के लिए, विशेष स्थायी आदेश द्वारा नियन्त्रण और पर्यवेक्षण प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(6) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, पुलिस महानिदेशक साधारण या विशेष स्थायी आदेश द्वारा, प्रत्येक कर्त्तव्य और दायित्व के संबन्ध में सिविल पुलिस के विभिन्न रैंकों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(7) पुलिस महानिदेशक के साधारण या विशेष स्थायी आदेश के अध यधीन, पुलिस थाना, पुलिस उप–मण्डल, पुलिस जिला या अन्य सिविल पुलिस इकाई का नियन्त्रक एवं पर्यवेक्षक अधिकारी, उसके नियंत्रण के अधीन सिविल पुलिस के विभिन्न रैंकों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को लिखित में संसूचित किसी आदेश के माध्यम द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(8) विशिष्ट कर्त्तव्यों के बेहतर प्रबंधन, नियन्त्रण और पर्यवेक्षण तथा सिविल पुलिस के सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिए राज्य सरकार, राज्य पुलिस सेवा में संवर्ग या उप–संवर्ग गठित कर सकेगी और इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर गंभीर अपराधों के अन्वेषण हेतु राज्य पुलिस सेवा में विशेष संवर्गों का सृजन कर सकेगी।

आचरण और अनुशासन।

29. (1) प्रत्येक सिविल पुलिस अधिकारी, उसे सौंपे गए किसी कर्त्तव्य या उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में उससे अपेक्षित कृत्यों का पालन इस अधिनियम, तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों और पुलिस महानिदेशक के साधारण या विशेष स्थायी आदेश के अध्यधीन, अपनी पूरी सामर्थ्य से करेगा।

(2) कर्त्तव्यों या उत्तरदायित्वों के स्तर (मानक) में कोई अपालन या कमी, अवचार होगी और पुलिस अधिकारी को, राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए विहित आचरण और अनुशासनिक नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी बनाएगी।

अश्वारोही पुलिस।

30. (1) प्रत्येक जिला में गश्त लगाने, भीड़ नियंत्रित करने और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए ऐसी संख्या में अश्वारोही पुलिस होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(2) पुलिस महानिदेशक, पुनरारोहण के उपापन, प्रबंध और अनुरक्षण तथा अश्वारोही पुलिस के प्रशिक्षण के बारे में स्थायी आदेश जारी करेगा।

अध्याय–4

सशस्त्र पुलिस

जिला सशस्त्र रिजर्व और राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनें।

31. राज्य सरकार, परिशान्ति भंग होने या विधि और व्यवस्था ठप्प होने से अन्तर्ग्रस्त या संभाव्यतः अन्तर्ग्रस्त होने वाले कृत्यों से तत्परता और दक्षता से निपटने में सहायता करने और आपदा प्रबन्धन में भी सहायता प्रदान करने के लिए महिला इकाइयों के लिए व्यवस्था सहित, प्रत्येक पुलिस जिला के लिए सशस्त्र पुलिस रिजर्व के रूप में समुचित जनशक्ति सहित सशस्त्र पुलिस इकाईयों तथा राज्य के लिए सशस्त्र पुलिस बटालियनों का समुचित संख्या में सृजन करेगी और ऐसी सशस्त्र पुलिस की भर्ती, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएगी।

भूमिका और कृत्य।

32. (1) सशस्त्र पुलिस बटालियनें राज्य स्तर की रिजर्व होगी जो पुलिस महानिदेशक के विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन, परिशांति भंग या विधि और व्यवस्था के ठप्प होने तथा सिविल पुलिस के प्रबन्ध साधनों से परे, किसी

स्थानीय क्षेत्र में आपदाओं से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से निपटने में सिविल पुलिस की सहायता करने के लिए, तैनात (अभिनियोजित) की जाएंगीः

परन्तु, पुलिस महानिदेशक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा रेंज पुलिस उप–महानिरीक्षक के आदेश पर तैनात (अभिनियोजित) की जाने वाली त्वरित अनुक्रियाशील इकाई के रूप में बटालियन की एक या अधिक सेवा कम्पनियां निश्चित (चिन्हित) कर सकेगा।

(2) जिला सशस्त्र रिजर्व, जिला पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण, निदेशन और पर्यवेक्षण के अधीन किसी भी स्थानीय विधि–व्यवस्था समस्या या जिला में स्थानीय आपदा से निपटने और विधिपूर्ण अभिरक्षा में हिंसात्मक या खतरनाक या अन्यों को मार्गरक्षण (एसकॉर्ट) की व्यवस्था करने के लिए या ऐसे अन्य कर्त्तव्यों को निभाने जैसे पुलिस महानिदेशक के विनियमों द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाएं, जिला पुलिस के सशस्त्र विंग के रूप में कार्य करेगी।

सशस्त्र पुलिस संगठन की संरचना।

33. (1) कमांडेंट (समादेशक), जो रैंक (पंक्ति) में पुलिस अधीक्षक के समतुल्य हो, प्रत्येक सशस्त्र पुलिस बटालियन का प्रमुख (हैड) होगा। कमांडेंट (समादेशक) की, उप– कमांडेंट (उप–समादेशक) जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के समतुल्य हो, द्वारा सहायता की जाएगी जो बटालियन में सेकण्ड–इन–कमाण्ड होगा। प्रत्येक बटालियन को समुचित संख्या में सेवा कम्पनियों और हैडक्वाटर कम्पनी में बांटा जाएगा, प्रत्येक का प्रमुख (हैड) पुलिस उप–अधीक्षक की पंक्ति के समतुल्य सहायक कमांडेंट (समादेशक) होगा ।

(2) राज्य की सशस्त्र पुलिस संगठन का प्रमुख (हैड), पुलिस उप–महानिरीक्षक या इससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी होगा जो पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण संरक्षण और निरीक्षण के अधीन प्रशासन, प्रशिक्षण, संक्रियात्मक सन्नद्धत्ता (तैयारी) तथा राज्य में समस्त सशस्त्र पुलिस इकाईयों के अधिकारियों के कल्याण के लिए दायी होगा।

(3) सशस्त्र पुलिस संगठन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या नियत करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक तीन या चार बटालियनों की कृत्यकारी और सन्नद्धत्ता (तैयारी) का निरीक्षण करने के लिए,

उप–महानिरीक्षक की पंक्ति का वरिष्ठ अधिकारी तैनात (अभिनियोजित) किया गया है और यदि दो ऐसे उप–महानिरीक्षक हों, तो सशस्त्र पुलिस संगठन का प्रमुख (हैड) कम से कम महानिरीक्षक की पंक्ति का अधिकारी होगा।

(4) सशस्त्र पुलिस संगठन के प्रमुख (हैड), पुलिस उप–महानिरीक्षक, कमांडेंट (समादेशक), उप–कमांडेंटों, सहायक कमांडेंटों और रिजर्व निरीक्षकों के कर्त्तव्य, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे।

बटालियनों और सशस्त्र रिजर्वों के बीच चक्रानुक्रम (रोटेशन)।

34. जिला सशस्त्र रिजर्व और सशस्त्र पुलिस बटालियनों के अधिकारी, पुलिस महानिदेशक के साधारण या विशेष स्थायी आदेश के अनुसार समय–समय पर लगाए (रोटेट किए) जाएंगे । जिला सशस्त्र रिजर्वों में ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की कोई भी सीधी भर्ती नहीं की जाएगी और समस्त रिक्तियां बटालियनों में होंगी तथा पुलिस महानिदेशक, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती वाली सभी रिक्तियों को भरवाएगा।

प्रथम नियुक्ति पर शपथ या प्रतिज्ञान।

35. सशस्त्र पुलिस का प्रत्येक अधिकारी प्रथम नियुक्ति पर, बटालियन के कमांडेंट (समादेशक) या ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जैसा सरकार इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के समक्ष इस अधिनियम की अनुसूची 1 में दिए गए प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

नियुक्ति का प्रमाण पत्र।

36. (1) सशस्त्र पुलिस के प्रत्येक अराजपत्रित अधिकारी को, प्रथम नियुक्ति पर इस अधिनियम की अनुसूची–2 में दिए गए प्ररूप में नियुक्ति का प्रमाण पत्र और ऐक्रॅनिम 'एच.पी.ए.पी.' वाला पद चिन्ह और सुभिन्न नामांकन (इनरोलमेन्ट) संख्या जारी की जाएगी जो सम्पूर्ण सशस्त्र पुलिस के लिए क्रमानुसार और ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों और ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के लिए पृथकतः चलेगी।

(2) किसी पुलिस अधिकारी का सशस्त्र पुलिस का सदस्य न रहने की दशा में, नियुक्ति के प्रमाण पत्र और पद चिन्ह को प्रत्याहृत समझा जाएगा और तुरन्त अभ्यर्पित किया जाएगा तथा सेवा से निलंबित कर दिए जाने की दशा में उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी के पास जमा कर दिया जाएगा।

रैंक की वर्दी और बैज।

37. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशस्त्र पुलिस में विभिन्न रैंकों (पंक्तियों) के लिए वर्दियों तथा कर्त्तव्यों और वर्दी पहनने की बाबत प्रोटोकाल विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा रैंक के बैज और अन्य सुभिन्न बैज, जो वर्दी के साथ पहने जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट करेगी।

आचरण और अनुशासन।

38. (1) कर्त्तव्यारूढ़ प्रत्येक सशस्त्र पुलिस अधिकारी, अपनी सर्वोच्च योग्यता के अनुसार शांति और प्रशांति बनाए रखना सुनिश्चित करेगा और––

(i) विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके पदीय वरिष्ठों द्वारा जारी किए गए सम्पूर्ण विधिपूर्ण आदेशों का अविलम्ब पालन करेगा;

(ii) असंगत या अत्यधिक बल का उपयोग करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा;

(iii) बाह्य प्रतिफलों या अपने पदीय वरिष्ठ से अन्य व्यक्ति के आदेशों या सुझावों के अनुसरण में लोक शांति बनाए रखने में समुचित बल के उपयोग में प्रविरत रहने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा; और

(iv) अपने कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन में अपेक्षित से अन्यथा अपने पद, वर्दी या शस्त्र का उपयोग किसी व्यक्ति को अभित्रासित करने में नहीं करेगा।

प्रशिक्षण।

39. (1) सशस्त्र पुलिस के सभी सदस्य, प्रारम्भिक भर्ती पर, ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी होने की दशा में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में और ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी होने की दशा में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में दलों (बैंचों) में अधिष्ठापन (प्रवेश) प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि और पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा विहित किया जाए।

(2) सशस्त्र पुलिस इकाईयों में समस्त रैंक चक्रानुक्रमानुसार (रोटेशन) द्वारा पुलिस महानिदेशक के साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित वार्षिक रिफ्रेशर / प्रशिक्षण प्रोग्राम और ऐसे विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जैसे विभिन्न प्रवर्गो के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(3) प्रत्येक बटालियन में, समस्त अधिकारियों को चक्रानुक्रमिक (रोटेशनल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ''प्रशिक्षण आरक्षण'' (ट्रेनिंग रिजर्व) के रूप में चिन्हित एक पूर्ण कम्पनी होगी।

(4) जिला सशस्त्र रिजर्व और राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों के अधिकारियों के लिए वार्षिक रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित अन्य विशिष्ट पाठ्यक्रमों की विषय–वस्तु और प्रणाली–विज्ञान ऐसा होगा, जैसा राज्य पुलिस बोर्ड के साधारण निदेशों के अध्यधीन पुलिस महानिदेशक की सिफारिशों पर विहित किया जाए।

तैनाती (अभिनियोजन)।

40. (1) जिला सशस्त्र रिजर्वों और राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों की इकाईयों और उप–इकाईयों की तैनाती (अभिनियोजन) इस अधिनियम की धारा 32 के उपबन्धों के अनुसार होंगी और केवल उन परिस्थितियों पर सर्वथा निर्बन्धित होंगी जिनमें ऐसी तैनाती (अभिनियोजन) पूर्णतया आवश्यक समझी जाए।

(2) तैनाती (अभिनियोजन), आदेश में यथा विनिर्दिष्ट नियत अवधि के लिए होगी और जब तक कि अवधि, विशेष आदेश द्वारा बढ़ाई न जाए, बल तैनाती (अभिनियोजन) अवधि के समापन पर अपने मुख्यालयों को वापस चले जाएंगे।

(3) जिला सशस्त्र रिजर्व की दशा में जिला पुलिस अधीक्षक और बटालियन की दशा में राज्य के लिए सशस्त्र पुलिस संगठन के प्रमुख (हैड) का यह सुनिश्चित करना कर्त्तव्य होगा कि इन सशस्त्र इकाईयों के अधिकारी ऐसी रीति में तैनात किए जाएं जो कर्त्तव्य के उचित चक्रानुक्रम (रोटेशन) के साथ–साथ उनका नियमित प्रशिक्षण और उनके कार्यो के लिए निरन्तर सन्नद्धता (तैयारी) सुनिश्चित करे ।

(4) किसी सशस्त्र पुलिस इकाई की तैनाती का आदेश करते समय, विधि व्यवस्था की अपेक्षाओं के अध्यधीन रहते हुए, यह सुनिश्चित करने में यथोचित सावधानी बरती जाएगी कि अधिकारियों को पर्याप्त विश्राम और सप्ताह में एक दिन का अवकाश भी मिले।

आयुध (शस्त्र), उपस्कर, गतिशीलता (मोबिलिटी), संसूचना आदि।

41. (1) सशस्त्र पुलिस के आयुध (शस्त्र) आदि ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार के आदेश द्वारा उपस्कर सारणी में नियत किए जाएंगे और उपस्कर सारणी में उपदर्शित मदें (वस्तुएं) विहित रीति में अभिप्राप्त की जाएंगी।

(2) बटालियनों और जिला सशस्त्र रिजर्वों को आयुधों (शस्त्रों) का वितरण, पुलिस महानिदेशक के आदेश पर नियत किया जाएगा जो आयुध, गोला–बारूद, मरम्मत और रखरखाव हेतु सामग्री के स्टॉक की अभिरक्षा और देख–रेख के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और वह रीति जिस में क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी हथियार नष्ट किए जाने हैं और आयुध (शस्त्र) या गोला–बारूद के नष्ट होने के मामले में प्रक्रिया भी अधिकथित करेगा।

(3) प्रत्येक बटालियन के साथ–साथ जिला सशस्त्र रिजर्व के लिए आयुध, उपस्कर, गतिशीलता, और संसूचना की पर्याप्तता आदि राज्य सशस्त्र पुलिस संगठन के प्रमुख द्वारा सम्बद्ध कमांडेंट (समादेशक) तथा जिला पुलिस अधीक्षक के परामर्श से वार्षिक आधार पर नियमित रूप से अवधारित की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

42. पुलिस महानिदेशक,राज्य पुलिस बोर्ड के समक्ष, जिला सशस्त्र रिजर्व तथा बटालियनों की तैनाती (अभिनियोजन) के ब्यौरे, उनकी सन्नद्धता (तैयारी) और प्रशिक्षण की अवस्था, जिसमें पुरुषों, आयुधों, उपस्करों, गतिशीलता, संसूचना आदि की पर्याप्तता सम्मिलित है, दर्शाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट रखेगा।

अध्याय–5

प्रशासन और अधीक्षण

पुलिस का प्रशासन।

43. (1) सम्पूर्ण राज्य में पुलिस का प्रशासन, पुलिस महानिदेशक और ऐसे अतिरिक्त महानिदेशकों, महानिरीक्षकों, उप–महानिरीक्षकों और अन्य अधिकारियों में निहित होगा जैसे राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के समग्र (सम्पूर्ण) नियन्त्रण के अध्यधीन नियत करे।

(2) जिला में पुलिस का अधीक्षण, जिला पुलिस अधीक्षक में निहित होगाः

परन्तु राज्य सरकार कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, केवल असाधारण मामलों में, ही जिनमें अनिवार्य लोकहित अंतर्ग्रस्त है, पुलिस महानिदेशक या किसी अन्य सक्षम पुलिस प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप कर सकेगी और समस्त ऐसे मामले राज्य पुलिस बोर्ड के समक्ष इसकी आगामी बैठक में लाए जाएंगे।

पुलिस महानिदेशक की शक्तियां और उत्तरदायित्व।

44. (1) पुलिस महानिदेशकः

(i) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के समस्त विषयों में राज्य सरकार और राज्य पुलिस बोर्ड को परामर्श देने;

(ii) राज्य पुलिस बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिकथित नीतियों (पॉलिसियों), सामरिक महत्व की (स्ट्रेटिजिक) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजना (प्लान) और वार्षिक उप–योजना (सब–प्लान) का कार्यान्वयन करने;

(iii) पुलिस सेवा की अपनी दक्षता, प्रभाविता, उत्तरदायित्व और जवाबदारी सुनिश्चित करने को प्रशासित और पर्यवेक्षित करने; और

(iv) किन्हीं साधारण कार्यकारी अनुदेशों की प्रतिकूलता को विचार में लाए बिना लेकिन इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों और ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार स्वीकृत पदों के आधार पर विद्यमान और प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए निदेश देने, के लिए दायी होगा।

राज्य सरकार में राज्य पुलिस के अधीक्षण का निहित होना।

45. (1) राज्य सरकार, सम्पूर्ण राज्य के लिए दक्ष, प्रभावी, उत्तरदायी और जवाबदार पुलिस सेवा सुनिश्चित करेगी और इस प्रयोजन के लिए सारे राज्य में पुलिस सेवा का अधीक्षण, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार में निहित होगा और प्रयोग किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार पुलिस की व्यावसायिक (पेशेवर) दक्षता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस अनुपालना सभी समयों पर विधि के अनुसार है, पुलिस सेवाओं पर अपने अधीक्षण का प्रयोग करेगी और नीतियां (पॉलिसियां) तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करेगी, गुणवत्ता पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के लिए मानक स्थापित करेगी, उनका कार्यान्वयन सुकर बनाएगी और सुनिश्चित करेगी कि पुलिस बल क्रियात्मक स्वायतता से व्यावसायिक रीति में अपने कर्त्तव्यों का पालन करे।

राज्य पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजनाएं (प्लान), पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के उद्देश्य और प्राथमिकताएं।

46. (1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट के आधार पर और राज्य पुलिस बोर्ड की सिफारिशों पर, पांच वर्ष की अवधि को समाविष्ट करते हुए, वार्षिक उप–योजनाओं (सब–प्लानों) सहित सामरिक महत्व (स्ट्रेटेजिक) की पुलिस तैनाती (पोलिसिंग), योजना (प्लान) को ऐसी रीति में अंतिम रूप देगी कि उत्तरोतर (आनुक्रमिक) योजना (प्लान), पूर्ववर्ती योजना (प्लान) के अंतिम वर्ष और उत्तरवर्ती योजना (प्लान) के प्रथम वर्ष को परस्पर व्याप्त करेः

परन्तु पुलिस महानिदेशक अपनी रिपोर्ट देते समय, अवधि के दौरान प्राप्त किए जा सकने वाले पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के उद्देश्यों और उनके कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित कार्रवाई योजना (ऐक्शन प्लान) को सम्यक् रूप से परिलक्षित करते हुए जिला और राज्य इकाईयों की रिपोर्टों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

(2) राज्य सरकार, सामरिक महत्व की (स्ट्रेटजिक) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजना (प्लान) और वार्षिक उप–योजना (सब–प्लान), जैसे ही उसे अंतिम रूप दिया जाता है, की एक प्रति राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखेगी।

(3) राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर, पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सामरिक महत्व की (स्ट्रेटजिक) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजना और वार्षिक उप–योजना (ऐनुअल सब–प्लान) के कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट भी विधान सभा के समक्ष रखेगी।

पुलिस के कार्य मूल्यांकन हेतु क्रियाविधि (मेकॅनिज्म)।

47. (1) राज्य सरकार, पूरे राज्य में और जिला वार भी पुलिस सेवा के कार्य के मूल्यांकन हेतु क्रियाविधियां तैयार (प्रकल्पित) करेगी।

(2) इन उपबन्धों की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना, पुलिस महानिदेशक निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाएगा–

(i) प्रत्येक रेंज में समस्त जिलों के रेंज उप–महानिरीक्षक द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करना; और

(ii) जिला के राजपत्रित अधिकारी द्वारा वर्ष में कम से कम दो निरीक्षण, जिसमें प्रत्येक जिला में प्रत्येक थाना और पुलिस चौकी के पुलिस अधीक्षक द्वारा वैयक्तिक रूप से एक निरीक्षण भी सम्मिलित हैः

परन्तु, विनियम, अन्य बातों के साथ–साथ निरीक्षण का ढंग, कार्यपद्धति, विषय–वस्तु विनिर्दिष्ट करेंगे और निरीक्षण को, कार्य मूल्यांकन हेतु प्रभावशाली साधन बनाने का प्रयास करेंगे।

राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना।

48. राज्य सरकार नीतियां (पालिसीज) अधिकथित करने को सुकर बनाने, कार्य मूल्यांकन करने और राज्य पुलिस सेवा की क्रियात्मक स्वायत्तता, जो इस अधिनियम में उपबंधित रीति में कार्य करेगी, को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य पुलिस बोर्ड का गठन करेगी। बोर्ड उतनी बैठक करेगा जितनी आवश्यक समझी जाएं लेकिन तीन मास में कम से कम एक बैठक करेगा।

बोर्ड की संरचना।

49. (1) राज्य पुलिस बोर्ड निम्नलिखित से गठित होगा–

(i)	मुख्य मन्त्री	–पदेन अध्यक्ष;
(ii)	गृह विभाग का प्रभारी मंत्री (यदि यह मुख्य मन्त्री के अन्यथा हो)	–पदेन उपाध्यक्ष;
(iii)	हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा में विपक्षी दल का नेता	–पदेन सदस्य;
(iv)	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।	–पदेन सदस्य;
(v)	प्रधान सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार।	–पदेन सदस्य;
(vi)	प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हिमाचल प्रदेश सरकार।	–पदेन सदस्य;

(vii)	प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार।	—पदेन सदस्य;
(viii)	निदेशक अभियोजन	—पदेन सदस्य;
(ix)	निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान (फॅरेनसिक साईंस) प्रयोगशाला।	—पदेन सदस्य;
(x)	निदेशक, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी।	—पदेन सदस्य;
(xi)	सत्यनिष्ठा और सक्षमता के लिए ख्याति अर्जित करने वाले तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी जो, धारा 50 के अधीन गठित चयन पैनल (सलेक्शन पैनल) की सिफारिशों पर ऐकडेमिआ, विधि और लोक प्रशासन के क्षेत्र में से नियुक्त किए जाएंगे।	—गैर सरकारी सदस्य; और
(xii)	पुलिस महानिदेशक	—सदस्य सचिव

(2) कोई भी सेवारत सरकारी कर्मचारी गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा और राज्य पुलिस बोर्ड में कोई भी रिक्ति यथासाध्य शीघ्रता से भरी जाएगी किन्तु पद के रिक्त होने के पश्चात् से तीन मास के अपश्चात् तथापि, बोर्ड की कोई भी कार्यवाही, किसी भी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

गैर सरकारी सदस्यों के चयन के लिए पैनल नामिका।

50. (1) राज्य पुलिस बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य, चयन पैनल, जो निम्न प्रकार से होगा, की सिफारिशों पर नियुक्त किए जाएंगे——

(क)	लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश	—अध्यक्ष;
(ख)	राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त	—सदस्य; और
(ग)	राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष,	—सदस्य।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध चार उपयुक्त व्यक्तियों की संक्षिप्त सूची उनके जीवन वृत्त सहित उपलब्ध करवाएगी। पैनल संक्षिप्त सूची में से चयन करेगा यदि पैनल, संसूचित किए जाने वाले कारणों से, चयन करने में असमर्थ है तो उस दशा में सरकार उपयुक्त व्यक्तियों की दूसरी संक्षिप्त सूची उपलब्ध करवाएगी।

(3) चयन पैनल गैर सरकारी सदस्यों के चयन के लिए इसकी अपनी पारदर्शी प्रक्रिया प्रकल्पित करेगा।

निरर्हताएं।

51. कोई व्यक्ति, राज्य पुलिस बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह––

(i) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ii) न्यायालय में किसी आपराधिक मामले में उसके विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ है; या

(iii) किसी भी राज्य या केन्द्रीय सरकार या सरकारी संगठन की सेवा से पदच्युत या हटाया गया है या वहां से उसकी भ्रष्टाचार या अवचार के आधारों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति हुई है; या

(iv) लोक पद धारण किए हुए है जिसमें संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य, या किसी राजनैतिक दल या राजनैतिक दल से सम्बद्व किसी संगठन का कोई पदाधिकारी है, सम्मिलित है; या

(v) विकृत चित का है।

गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि और पारिश्रमिक।

52. (1) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी और वह केवल एक और अवधि के लिए ही पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

(2) गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित लिखित संसूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(3) गैर सरकारी सदस्य, बोर्ड की वास्तविक बैठक के लिए प्रति दिन एक हज़ार रुपए बैठक फीस का हकदार होगा और इस निमित्त राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

राज्य पुलिस बोर्ड के कृत्य।

53. (1) राज्य पुलिस बोर्ड–

(i) विधि के अनुसार दक्ष, प्रभावी, उत्तरदायी और जिम्मेदार पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) का संवर्धन करने हेतु व्यापक पॉलिसी मार्गदर्शक सिद्धांत जिस में पांच वर्षीय सामरिक महत्व की (स्ट्रेटिजिक) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) उप–योजनाएं (सब–प्लान) और वार्षिक पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) उप–योजनाएं सम्मिलित हैं, अनुमोदित करेगा;

(ii) अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों और राज्य राजपत्रित पुलिस सेवा अधिकारियों के विभिन्न रैंकों के स्वीकृत पदों को समय–समय पर अनुमोदित करेगा;

(iii) पुलिस सेवा की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने हेतु कार्य सूचक परिलक्षित करेगा और इन सूचकों में अन्य बातों के साथ–साथ कार्य परिचालन दक्षता, लोक तुष्टि और साधनों का उचित उपयोग भी सम्मिलित होगा; और

(iv) राज्य पुलिस के संगठनात्मक कार्य की पांच–वर्षीय सामरिक महत्व की (स्ट्रेटेजिक) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजना (प्लान) तथा वार्षिक पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) उप–योजना (सब–प्लान) और राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा यथा परिलक्षित तथा अधिकथित कार्य परिचालन सूचकों के विरूद्ध पुनर्विलोकन और मूल्यांकन करेगा; और

(2) बोर्ड, उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत, राज्य सरकार को सिफारिशें करेगा जो सामान्यतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होंगी और सिफारिशों पर की गई कार्रवाई तीन मास की अवधि के भीतर बोर्ड को सूचित की जाएगीः

परन्तु यदि सरकार की यह राय है कि बोर्ड की किसी सिफारिश को लागू करना लोक हित में व्यवहार्य नहीं है तो यह इसके कारणों को संसूचित करेगी जो बोर्ड के समक्ष इसकी आगामी बैठक में रखे जाएंगे।

कारबार का संव्यवहार।

54. (1) बोर्ड की बैठकों के लिए सूचना (नोटिस) सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व जारी की जाएगी। किसी मद पर प्रश्न करने की इच्छा रखने वाले सदस्य सूचना (नोटिस) भेजेंगे ताकि यह सदस्य सचिव के पास कम से कम सात दिन पूर्व पहुंच जाए और मदें बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से उठाई जाएंगी।

(2) समस्त बैठकें, जब तक कि बोर्ड अन्यथा विनिश्चय न करे, शिमला में ही होंगी। बोर्ड की कार्यवाहियों का अभिलेख सदस्य सचिव द्वारा रखा जाएगा जो प्रत्येक बैठक के पन्द्रह दिन के भीतर इसे अध्यक्ष के अनुमोदन से परिचालित करवाएगा।

(3) बोर्ड की बैठक हेतु गणपूर्ति, बोर्ड की कुल सदस्यता के एक तिहाई से होगी। गणपूर्ति के अभाव में, बोर्ड की बैठक उसी समय के लिए आगामी कार्य दिवस को स्थगित की जाएगी और इस प्रकार स्थगित बैठक के लिए कोई भी गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी।

(4) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कारबार के संव्यवहार के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया बनाएगा (प्रकल्पित) करेगा।

बोर्ड के कामकाज पर वार्षिक रिर्पोट।

55. (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अवसान के तीन मास के भीतर, बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष के लिए यथा अनुमोदित वार्षिक पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) उप–योजना (सब–प्लान) सहित वर्ष के दौरान इस द्वारा किए गए कार्य के साथ–साथ राज्य पुलिस के कार्यों पर रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। रिपोर्ट में उन सभी मामलों का वर्णन होगा जहां इस की सिफारिशों को, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार या तो स्वीकार नहीं किया गया है या उन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

(2) राज्य सरकार, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सहित प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट को, इसकी प्राप्ति के दो मास अपश्चात्, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगी।

पुलिस स्थापना समितियां।

56. (1) एक राज्य पुलिस स्थापना समिति होगी जिसका प्रमुख (हैड) पुलिस महानिदेशक होगा और जो पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों, से समाविष्ट होगी । राज्य पुलिस स्थापना समिति––

(i) अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की समस्त तैनातियों (पोसटिन्ग) तथा स्थानांतरण और संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति और समस्त विंगों में अन्तर रेंज स्थानातरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस बाबत अनुदेशों के अनुसार अनुमोदित करने ;

(ii) पुलिस उप–महानिरीक्षक तथा जिला अधीक्षक को अपनी अधिकारिता के भीतर स्थानन्तरणों पर सामान्य नीति निदेश तथा स्थायी आदेश जारी करना अनुमोदित करने;

(iii) पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों के विरूद्ध अभ्यावेदनों की सुनवाई करने तथा निपटाने;

(iv) इस अधिनियम और सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य सरकार के राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की तैनाती (पोसटिन्ग) तथा स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव की सिफारिशें करने; और

(v) राजपत्रित पुलिस अधिकारियों से सेवा मामलों को अभ्यावेदनों के बारे में राज्य सरकार को सिफारिशें करने :

परन्तु पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पुलिस संगठन के भीतर किसी विनिर्दिष्ट इकाई हेतु ऐसी इकाई के भीतर अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की तैनातियां (पोसटिन्ग) तथा स्थानान्तरण करने के लिए स्थापना समिति का गठन कर सकेगा।

पुलिस गजट।

57. पुलिस महानिदेशक, प्रत्येक मास पुलिस गजट प्रकाशित करवाएगा जिसमें विभागीय आदेश, अधिसूचनाएं तथा पुलिस संगठन के भीतर परिचालन हेतु सामान्य हित के परिपत्र (सर्कुलर) होंगे; और प्रकाशन के समुचित अंशों को पुलिस विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

वित्तीय प्रबन्धन।

58. (1) पुलिस महानिदेशक, पुलिस सेवा की पूर्ण रूप से बजट सम्बन्धी अपेक्षाओं (बजट्री रिक्वायर्मेंट) को पर्याप्तः अग्रिम रूप में प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) बजट सम्बन्धी आबंटन (बजट्री ऐलोकेशन) पुलिस महानिदेशक के निपटारे पर रखा जाएगा जिसमें बजट के प्रत्येक शीर्ष के अधीन निश्चित रकम का व्यय करने की शक्तियां निहित होंगी।

सराहनीय सेवा को मान्यता।

59. राज्य सरकार, राज्य पुलिस बोर्ड के अनुमोदन से अराजपत्रित और राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, जिन्होंने असाधारणतया सराहनीय कार्य किया हो या जिन्होंने उच्चतर आदेश के कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा दर्शायी हो, की मान्यता के लिए स्कीम विरचित करेगी और राज्य पुलिस बोर्ड प्रत्येक वर्ष स्कीम के उपबन्धों के अनुसार लोक मान्यता के लिए उपयुक्त पुलिस अधिकारियों के नामों की अनुसंशा राज्य सरकार को करेगा।

अध्याय–6

पुलिस की भूमिका, कृत्य, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

पुलिस की भूमिका और कृत्य।

60. (1) साधारण या विशेष आदेशों द्वारा राज्य पुलिस की इकाइयों या व्यक्तिगत सदस्यों को विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों को सौंपने के अध्यधीन, पुलिस सेवा की सामान्य भूमिका और कृत्य निम्नलिखित होंगे––

(i) कानून की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कार्य करना और जनसाधारण (लोक सदस्यों) के जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति और मानव अधिकारों का संरक्षण करना, और समुदाय में सुरक्षा की भावना विकसित करना तथा बनाए रखना;

(ii) लोक व्यवस्था का संवर्धन और परिरक्षण करना और सार्वजनिक स्थानों में न्यूसेंस का निवारण करना;

(iii) आन्तरिक सुरक्षा का संरक्षण और आंतकवादी क्रियाकलापों, बलवों, विद्रोहों, औद्योगिक या अन्य हड़तालों, सांप्रदायिक सद्भावना

भंग करने, उग्रवादी हिंसा, युयुत्सु (मिलिटेन्ट) क्रियाकलापों और आन्तरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों का निवारण और नियन्त्रण करना;

(iv) सार्वजनिक सम्पत्तियों और सार्वजनिक अवसंरचना का संरक्षण करना;

(v) निवारक कार्रवाई, गुप्त जमावों (इन्टैलीजैंस गैदरिंग) और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अपराधों का निवारण करना तथा अपराध के अवसरों को कम करना;

(vi) वैज्ञानिक रीतियों के प्रयोग से पक्षपात रहित और व्यवसायिक रूप से समस्त अपराधों का अन्वेषण करना और अपराधियों को पकड़ना (गिरफ्तार करना);

(vii) न्यायालय में अन्वेषण का समुचित उपस्थापन सुनिश्चित करते हुए अपराधियों के अभियोजन में सहायता करना;

(viii) प्रथम प्रत्युत्तरदायियों के रूप में प्राकृतिक या मानव–निर्मित आपदाओं से उत्पन्न स्थिति में लोगों को यथा सम्भव सहायता और मदद प्रदान करना और राहत तथा पुनर्वास उपायों में लगे अन्य अभिकरणों को सक्रिय सहायता प्रदान करना;

(ix) जिन व्यक्तियों को शारीरिक अपहानि या सम्पत्ति का खतरा है, उनकी सहायता करना और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना तथा दीन परिस्थितियों में लोगों को राहत प्रदान करना;

(x) सार्वजनिक स्थानों में लोगों के व्यवस्थित संचलन को सुकर बनाना, उनकी सामान्य सुरक्षा और बचाव को सुनिश्चित करना तथा इस प्रयोजन के लिए सार्वजनिक सभाओं, मेलों और जुलूसों को सुव्यवस्थित करना;

(xi) यातायात को मार्गों, सड़कों और उच्च मार्गों तथा साधारणतया सार्वजनिक स्थानों पर विनियमित और व्यवस्थित करना और बाधा हटाना;

(xii) लोक शान्ति को प्रभावित करने वाले मामलों, सामाजिक और आर्थिक अपराध और संगठित अपराध, साम्प्रदायिकता, अतिवाद, आतंकवाद सहित अपराधों और राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध अन्य मामलों से सम्बद्ध आसूचना का संग्रहण करना तथा लोक शान्ति बनाए रखने और अपराधों के निवारण के लिए समस्त आवश्यक कार्रवाई करना;

(xiii) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर किए गए राजकोषों, हवालातों और अन्य अवस्थानों के लिए इस निमित्त, स्थायी आदेशों के अनुसार गार्डों का प्रबन्ध करना;

(xiv) महानिदेशक पुलिस द्वारा समय–समय पर जारी स्थायी आदेशों के अनुसार विधिपूर्ण अभिरक्षा में कैदियों या अन्यों या मूल्यवान वस्तुओं के लिए अनुरक्षकों का प्रबन्ध करना; और

(xv) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपेक्षित हों, या जो विहित किए जाएं।

पुलिस के सामाजिक उत्तरदायित्व।

61. (1) प्रत्येक पुलिस अधिकारीः––

(i) जनसाधारण (लोक सदस्यों) के साथ सम्यक् शिष्टाचार और शालीनता से व्यवहार करेगा;

(ii) जनसाधारण (लोक सदस्यों) विशिष्टतया बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, गरीबों और निर्धनों तथा शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों का मार्ग दर्शन और सहायता करेगा, जिन्हें सहायता और संरक्षण की आवश्यकता हो;

(iii) सार्वजनिक स्थानों और लोक परिवहन में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न का निवारण (रोकथाम) करेगा;

(iv) किसी व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा आपराधिक शोषण के विरूद्ध लोक सदस्यों, विशिष्टतया बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और गरीब तथा निर्धन व्यक्तियों को समस्त अपेक्षित सहायता देगा;

(v) अभिरक्षा में प्रत्येक व्यक्ति को वैध रूप से अनुज्ञेय भरण–पोषण और आश्रय की व्यवस्था करेगा और अभिरक्षा में रखे गए सभी व्यक्तियों को राज्य में प्रवृत्त की गई विधिक सहायता स्कीमों के उपबन्धों की जानकारी देगा तथा सम्बद्ध प्राधिकारी को ऐसी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सूचित करेगा;

(vi) अपराध के और सड़क तथा अन्य दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समस्त अपेक्षित सहायता प्रदान करेगा और विशिष्टतया सुनिश्चित करेगा कि उन्हें तुरन्त चिकित्सा सहायता, इस प्रयोजन के लिए सज्जित निकटतम सुविधा स्थान पर दी जाए;

(vii) अपराध के और सड़क तथा अन्य दुर्घटनाओं के पीड़ितों या उनके निकटतम सम्बन्धियों को ऐसी सूचना और दस्तावेजों के साथ सहायता करेगा जिनसे उनके प्रतिकर दावे सुकर होंगे या किन्हीं विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्हें समर्थ बनाएगा; और

(viii) अपराध के पीड़ितों या उनके निकटतम सम्बन्धी और साक्षियों को, अपराध के अन्वेषण तथा अपराधियों के अभियोजन के दौरान सकारात्मक प्रत्युत्तर देगा।

(ix) पुलिस अधिकारी हर समय विधि के दायित्वाधीन रहेंगे और लोगों की विधिपूर्ण आवश्यकताओं के लिए दायी होंगे और नीतिपरक आचरण और सत्यनिष्ठा की संहिता का अनुपालन करेंगे।

पुलिस सेवा के कर्त्तव्य।

62. (1) इस अधिनियम के अधीन पुलिस की भूमिका और कृत्यों के निर्वहन के लिए मुख्य उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक की नेतृत्व वाली सम्बद्ध जिला पुलिस का होगा जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए:

परन्तु राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा, आपराधिक अन्वेषण, यातायात, आसूचना (इन्टैलिजैंस), कानून और व्यवस्था आदि के लिए जिला या पुलिस थाना स्तर पर विशेष इकाईयां सृजित या अभिहित कर सकेगी और ऐसे मामले में आदेश में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायित्व, ऐसी इकाई का होगा।

(2) राज्य इकाई में तैनात प्रत्येक पुलिस का यह कर्त्तव्य होगा कि वह, उसे सौंपी गई भूमिका और कृत्यों के निर्वहन के लिए अपनी पूरी योग्यता के साथ इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का समुचित प्रयोग करे।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किसी अधीनस्थ अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन स्वयं कर सकेगा।

63. आरक्षी (कॉस्टेबल) से वरिष्ठ पंक्ति (रैंक) का पुलिस अधिकारी उसके अधीनस्थ अधिकारी को विधि द्वारा या विधिपूर्ण आदेश द्वारा सौंपे गए किसी भी कर्त्तव्य का पालन कर सकेगा और ऐसे अधीनस्थ पर अधिरोपित (सौंपे) किसी कर्त्तव्य की दशा में, वरिष्ठ ऐसे अधीनस्थ की किसी कार्रवाई को स्वयं द्वारा या उसकी कमाँड या प्राधिकार के अधीन विधिपूर्ण कार्य कर रहे व्यक्ति की कार्रवाई द्वारा सहायता, अनुपूर्ति, अतिष्ठित या निवारित कर सकेगा जब कभी उसे विधि को और अधिक पूर्ण या सुविधाजनक प्रभाव देने के लिए या उसके अतिल्लंघन का परिवर्जन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

सभी व्यक्ति पुलिस अधिकारी के युक्तियुक्त निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

64. सभी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में दिए गए युक्तियुक्त और विधिपूर्ण निदेशों की अनुपालना के लिए आबद्ध होंगे। जहां कोई व्यक्ति ऐसे किसी निदेश की अनुपालना करने का प्रतिरोध करता है, इन्कार करता है या असफल रहता है तो पुलिस अधिकारी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को हटा सकेगा या गिरफ्तार कर सकेगा और यथाशक्य शीघ्र और किसी भी दशा में चौबीस घण्टे के भीतर अधिकारिता रखने वाले नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश कर सकेगा।

गिरफ्तारी और निरूद्ध करना।

65. (1) कोई पुलिस अधिकारी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरूद्ध करने के लिए––

(i) नाम, रैंक और संगठन के नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, सहित सही, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान पहनेगा या प्रदर्शित करेगा;

(ii) गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी की तारीख, समय और स्थान का नाम देते हुए एक गिरफ्तारी ज्ञापन (मेमो) तैयार करेगा और तत्काल अपने अव्यवहित वरिष्ठ को लिखित संसूचना भेजेगा;

(iii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह गिरफ्तार या निरूद्ध किया जाता है, उसकी पसन्द के किसी वादमित्र को उसकी गिरफ्तारी या निरूद्ध किए जाने की सूचना देने के अधिकार की जानकारी देगा और तत्काल, परन्तु चौबीस घण्टे के अपश्चात्, ऐसे व्यक्ति को यथाशक्य शीघ्र सूचित करेगा।

(iv) व्यक्ति की गिरफ्तारी की बाबत, निरूद्ध किए जाने के स्थान पर डायरी में, गिरफ्तार व्यक्ति के वादमित्र, जिसे उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है, का नाम निर्दिष्ट करते हुए और पुलिस अधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है, के नामों और विशिष्टियों की प्रविष्टि करेगा;

(v) प्रयोजन के लिए अभिहित चिकित्सक द्वारा तुरन्त चिकित्सा परीक्षण के लिए और अभिरक्षा में उसके निरूद्ध होने के दौरान प्रत्येक अड़तालीस घण्टे में और चिकित्सा परीक्षण के लिए व्यवस्था करेगा;

(vi) गिरफ्तारी के ज्ञापन (मेमो) सहित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को विधि के उपबन्धों के अनुसार, भेजेगा।

(vii) गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, मिलने की अनुज्ञा देगा; और

(viii) गिरफ्तार व्यक्ति का नाम और अन्य विशिष्टियों को निरूद्ध किए जाने के स्थान पर सूचना पट्ट पर और ऐसे अन्य स्थानों पर, जैसे विहित किए जाएं, प्रदर्शित करेगा।

(2) किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरूद्ध करने या गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने के लिए केवल उतने ही बल का प्रयोग किया जाएगा जितना यह सुनिश्चित करने के लिए युक्ति–युक्त रूप से अपेक्षित है कि उसमें बच निकलने की सम्भावना न रहे और गिरफ्तार या विधि पूर्ण पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति के लिए हथकड़ी का सहारा तभी लिया जाएगा जब युक्तियुक्त आशंका हो

कि ऐसा व्यक्ति हिंसात्मक हो सकता है, आत्महत्या का प्रयत्न कर सकता है, या बच निकल सकता है या गिरफ्तारी या निरोध (रोके जाने) से बलपूर्वक छुड़ाया जा सकता है।

(3) महानिदेशक पुलिस इस धारा के अधीन मामलों की बाबत विस्तृत प्रक्रिया स्थाई आदेश द्वारा विहित करेगा।

पुलिस अधिकारियों के लिए प्रतिषिद्ध आचरण।

66. (1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिव्यक्ततः अनुज्ञा न दे दे कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्त्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत नहीं करेगा।

(2) कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पद से तब तक त्यागपत्र नहीं देगा जब तक उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को कम से कम तीन मास की लिखित में सूचना (नोटिस) न दी हो।

(3) जब तक सक्षम प्राधिकारी ऐसा करने के लिए अभिव्यक्ततः लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दे, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन या पद पर नहीं लगेगा।

अध्याय–7

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस तैनाती (पोलिसिंग)

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस सेवाएं।

67. (1) पुलिस थाना की क्षेत्रीय अधिकारिता, हलकों (बीटों) की उपयुक्त संख्या में विभाजित की जाएगी, प्रत्येक के अन्तर्गत ग्राम या उसके भाग या ग्रामों के समूह आएंगें जिन्हें ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी (जिसे हलका (बीट) अधिकारी कहा जाएगा) के, सीधे प्रभार के अधीन, ग्रामों के साथ नियमित और निकट सम्पर्क बनाए रखने के लिए रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक ग्राम, जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विहित रीति में, हलका (बीट) अधिकारी के अन्तर्गत है।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ग्राम, ग्रामों के समूह या हलका (बीट) के लिए स्थानीय रक्षकों के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों के पदनाम या नियुक्ति के लिए स्कीम प्रकाशित करेगी और उन्हें ऐसे कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व और कृत्यों को सौंपेगी जो आसूचना (इन्टैलिजैन्स) एकत्रित करने के लिए और अपराध की रोकथाम में सहायता करने के लिए तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोकहित में समय–समय पर अपेक्षित हो।

स्पष्टीकरण––इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, इस अधिनियम के अध्याय 8 के अन्तर्गत आए शहरी पुलिस जिलों, पुलिस उप–मण्डलों और पुलिस थानों से अन्यथा, समस्त क्षेत्र सम्मिलित हैं।

हलका (बीट) अधिकारी के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व।

68. (1) हलका (बीट) अधिकारी के उसके हलका (बीट) की बाबत, निम्नलिखित कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व होंगेः––

(i) समुदाय वयोवृद्धों, उस ग्राम में रहने वाले पंचायत के सदस्यों, स्थानीय नम्बरदार, स्थानीय कर्मचारियों जैसे कि पटवारी, वन रक्षक और पंचायत चौकीदार और उसके प्रभार के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम के निवासियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना तथा प्रत्येक दौरे के दौरान, ग्राम में अपराध निवारण उपायों का पुनर्विलोकन करना;

(ii) ग्राम में अपराधों और अपराधियों तथा विद्रोहियों की गतिविधियां, युयत्सु (मिलिटेन्ट) और असमाजिक तत्वों, यदि कोई हैं, के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करना और उसे पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को संसूचित करना;

(iii) इतिवृत्त अपराधियों और दुश्चरित्र व्यक्तियों, यदि कोई हैं, और अन्य आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों पर नजर रखना;

(iv) सम्भाव्य हिंसा वाले स्थानीय विवादों या जाति / साम्प्रदायिक इंगितों की जानकारी रखना और पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को समस्त उपलब्ध ब्यौरों की सूचना देना;

(v) हलका (बीट) को सौंपे गए ग्रामों की बाबत साक्षियों के संरक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने सहित अन्य कोई पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के कार्यों, जैसे समय–समय पर सौंपे जाएं, को कार्यान्वित करना;

(vi) किसी लोक शिकायत और पुलिस तैनात करने (पोलिसिंग) से सम्बन्धित शिकायतों का अभिलेख रखना और तत्परता से पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को सूचित करना; और

(vii) उसके दौरों के दौरान उसके द्वारा कार्यान्वित किए गए कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का अभिलेख ऐसी रीति में बनाए रखना, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए और उसे प्रत्येक मास पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को सौंपना।

ग्राम पंचायत को सहायता।

69. पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी और हलका (बीट) अधिकारी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन विहित रीति में ग्राम पंचायत को, किसी अपराध की जो उसकी जानकारी में आया है और जो पंचायत की अधिकारिता के भीतर किया गया है और पंचायत द्वारा विचारणीय है, तुरन्त सूचना देगा। वह ऐसे समस्त मामलों में, इसके प्राधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में, पंचायत की सहायता करेगा।

पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी और पर्यवेक्षण पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्राम के दौरे।

70. (1) पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी,ऐसी रीति में, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए, एक ग्राम रजिस्टर बनाए रखेगा और उसमें हलका (बीट) अधिकारी की मासिक रिपोर्ट पर मुख्य अपराधों, घटनाओं या अपराध आधारित संभाव्यता सहित प्रविष्टियां करेगा और जिला पुलिस अधीक्षक के परामर्श से ग्रामों को "संवेदनशील" या "असंवेदनशील ग्रामों" के रूप में वर्गीकृत करेगा।

(2) पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी, उसकी अधिकारिता में आने वाले प्रत्येक ग्राम का पुलिस अधीक्षक द्वारा, साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से, विनिर्दिष्ट रीति में, दौरा करेगा और ऐसा करते समय वह ऐसे ग्रामों का दौरा प्रथम प्राथमिकता पर करेगा जिसे ग्राम रजिस्टर में "संवेदनशील" के रूप में अभिलिखित किया गया है।

(3) पुलिस अधीक्षक सहित समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी उनकी अधिकारिता में आने वाले इतने ग्रामों का, जहां तक सम्भव हो, "संवेदनशील" ग्रामों को प्राथमिकता देते हुए, दौरा करेगा। ऐसे दौरों का प्रयोजन अपराध, कानून की स्थिति और गतिविधियां, यदि कोई हैं, हिंसा तथा क्षेत्र में युयुत्सु (मिलिटेन्ट) व्यक्तियों या समूह की सामान्य स्थिति का पुनर्विलोकन करना और साधारणतः ग्राम में अपराध पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं सें स्वयं अवगत रहना और कानून और व्यवस्था या पुलिस तैनाती कार्य तथा यथा–सम्भव ऐसे स्थानीय निवासियों से अन्तर्व्यवहार करना ताकि पुलिस सेवा के साथ लोक संतुष्टि के संतुलन का निर्धारण हो सके।

(4) जब कभी प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में हिंसा या मुख्य अपराध या सम्पत्ति के नुकसान की संभावना है तो पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से उस क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के लिए स्थानीय लोगों के समूह और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संगठन को निवारक गश्त लगाने, अपराध कम करने के उपायों के संवर्धन को कार्यान्वित करने और साधारणतया पुलिस को उसके कृत्यों में सहायता करने के प्रयोजन के लिए, निदेश दे सकेगा। समूह को ग्राम सुरक्षा समिति कहा जाएगा और उसमें पन्द्रह से अनधिक सदस्य हो सकेंगे।

(5) ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्य, पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानीय पंचायत के परामर्श से, पच्चीस और पैंतालीस वर्ष की आयु के और अच्छे चरित्र और पूर्ववृत्त वाले हृष्ट–पुष्ट व्यक्तियों में से, जो उस ग्राम के स्थाई निवासी हों, और जिन्हें न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है या जो पुलिस द्वारा आपराधिक मामले में आरोपित नहीं किए गए हैं या किसी लोक नियोजन से नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार या अवचार के आधार पर सेवा से पदच्युत, हटाए, उन्मुक्त या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं कर दिए गए हैं या किसी राजनैतिक दल के पदाधिकारी नहीं हैं, को शामिल किया जाएगा और सदस्यों को शामिल करते समय गृह रक्षकों, भूतपूर्व सैनिकों और जिन्होंने पहले ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य के रूप में संतोषजनक काम किया हो, को अधिमान दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक एक सदस्य को, उसके अनुभव और नेतृत्व के गुणों के आधार पर समिति, दल (पार्टी) के नेता (लीडर) के रूप में नियुक्त करेगा और किसी सदस्य या नेता (लीडर) को हटा या बदल सकेगा यदि उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है ।

(6) ग्राम सुरक्षा समिति एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के लिए संगठित की जाएगी। परन्तु अवधि को पुलिस अधीक्षक द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और एक सौ अस्सी दिन के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(7) ग्राम सुरक्षा समिति की सदस्यता स्वैच्छिक और अवैतनिक होगी और ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी फोटो पहचान बैज पहनेंगे।

(8) यदि कोई व्यक्ति ग्राम सुरक्षा समिति का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह फोटो पहचान बैज और ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य के रूप में उसके कब्जे में के समस्त अभिलेख और दस्तावेजों को तत्काल पुलिस अधीक्षक या उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को परिदत्त करेगा।

परामर्शात्मक क्रियाविधि (मैकॅनिज्म)।

71. (1) जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से, साधारणतः पुलिस को उनके कृत्यों में परामर्श देने के लिए क्षेत्र के अन–अधिपेक्षणीय चरित्र और पूर्ववृत्त वाले प्रतिष्ठित स्थानीय निवासियों, सेवानिवृत्त लोक सेवकों और शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, यदि कोई हैं, सहित और समुदाय के अन्य प्रतिनिधियों से समाविष्ट प्रत्येक पुलिस थाना के लिए एक सामुदायिक सम्पर्क समूह का गठन करेगा। समूह में पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम में समाज के समस्त वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व रहेगा और समूह में कम से कम एक तिहाई महिलाएं समाविष्ट होंगी। इस समूह में, सम्बद्ध पुलिस थाना की अधिकारिता में आने वाली प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा इसके सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि और प्रत्येक नगरपालिका समिति तथा नगर पंचायत द्वारा इसके सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य होगाः

परन्तु न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध या आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा आरोपित किया गया या किसी लोक नियोजन से भ्रष्टाचार, नैतिक अधमता या अवचार के आधार पर सेवा से पदच्युत, हटाया, उन्मुक्त या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया कोई व्यक्ति सामुदायिक सम्पर्क समूह में शामिल किए जाने या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि किसी राजनैतिक दल का कोई पदाधिकारी समूह में शामिल किए जाने का पात्र नहीं होगा।

(2) पुलिस अधीक्षक सामुदायिक सम्पर्क समूह के सदस्यों में से एक सदस्य को संयोजक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा । समूह, क्षेत्र की वर्तमान और उभरती पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) की आवश्यकताओं को व्यक्त करेगा, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला के लिए सामरिक महत्व की (स्ट्रेटिजिक) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजना और वार्षिक उप–योजना को तैयार करते समय विचार किया जाएगा और समूह ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जैसे विहित किए जाएं।

(3) समूह, उतनी बैठकें करेगा जितनी आवश्यक हो परन्तु प्रत्येक मास में कम से कम एक बैठक करेगा और पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी सभी बैठकों में भाग लेगा। संयोजक द्वारा प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इसके सदस्यों को परिचालित की जाएंगी और इसकी एक प्रति पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को भी अग्रेषित की जाएंगी जो उस पर अपनी टीका–टिप्पणियों सहित एक प्रति को जिला पुलिस अधीक्षक और उप–मण्डल पुलिस अधिकारी को पृष्ठांकित करेगा ।

(4) जब उप–मण्डल मजिस्ट्रेट या उप–मण्डल पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत हो, कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या अन्य आपात परिस्थितियों में सामुदायिक सम्पर्क समूह की बैठक बुलाई जानी समीचीन है, तो वह या तो संयोजक को बैठक बुलाने का निर्देश देगा या अपनी अध्यक्षता में समूह की विशेष बैठक बुला सकेगा।

अध्याय–8

शहरी क्षेत्रों में पुलिस तैनाती (पोलिसिंग)

शहरी पुलिस जिलों, उप–मण्डलों और पुलिस थानों का गठन।

72. (1) नगर निगम या नगरपालिका या नगर पंचायत के रूप में घोषित शहरी क्षेत्र में बेहतर पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के लिए, सरकार, विहित किए जाने वाले मानकों के आधार पर, ऐसे शहरी क्षेत्र की क्षेत्रीय अधिकारिता में पुलिस थाना, पुलिस उप–मण्डल या पुलिस जिला सृजित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सृजित पुलिस जिला या पुलिस उप–मण्डल या पुलिस थाना को, यथास्थिति, 'शहरी पुलिस जिला' या 'शहरी पुलिस उप–मण्डल' या 'शहरी पुलिस थाना' कहा जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में पुलिस के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व।

73. (1) प्रत्येक शहरी पुलिस थाना, शहरी पुलिस उप–मण्डल और शहरी पुलिस जिला में एक पुलिस नियन्त्रण कक्ष होगा जो चौबीस घण्टे प्रचालन में रहेगा और संचार और परिवहन प्रसुविधाओं तथा आपातकालीन सेवाओं, जैसी आवश्यक समझी जाएं, से सज्जित (युक्त) होगा।

(2) प्रत्येक शहरी पुलिस जिला में कम से कम निरीक्षक की पंक्ति के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक अलग यातायात विंग होगा।

(3) शहरी पुलिस जिला, शहरी पुलिस उप–मण्डल और शहरी पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी ऐसे शहरी क्षेत्रों में नगर योजना, आवश्यक सेवाओं या आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित बैठक में आमंत्रित अतिथि होगा।

(4) इस अधिनियम के अध्याय–7 के उपबन्ध शहरी पुलिस जिलों, शहरी पुलिस उप–मण्डलों और शहरी पुलिस थानों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्याय–9

लोक व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा

लोक व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा और आपदा प्रबन्धन।

74. (1) पुलिस महानिदेशक, सम्पूर्ण राज्य के साथ–साथ प्रत्येक जिले और प्रमुख शहरी क्षेत्रों के लिए, लोक व्यवस्था प्रबन्ध से निपटने के लिए, एक राज्य सुरक्षा स्कीम विरचित करवाएगा और इसे राज्य पुलिस बोर्ड के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए रखेगा।

(2) जिला स्तरीय आन्तरिक सुरक्षा स्कीमें जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार की जाएंगी और जिला मजिस्ट्रेट तथा मण्डल के आयुक्त के समर्थन और सुझावों सहित महानिदेशक पुलिस को भेजी जाएंगी और प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएंगी।

(3) आन्तरिक सुरक्षा स्कीम में, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बलवों, आक्रमण, विद्रोह, आतंकवाद, तोड़–फोड़, हड़तालें, औद्योगिक या मानव निर्मित आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं और इसी प्रकार की आपदाओं सहित लोक सुरक्षा से अन्तर्वलित, समस्त प्रत्याशित आकस्मिकताएं आएंगी।

(4) जिला पुलिस अधीक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि विभिन्न आकस्मिकताओं में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं तथा मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पीज़) के प्रबन्धन के लिए जिला पुलिस के पास उपलब्ध स्त्रोतों से सम्बन्धित समस्त सूचना जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाए और जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन योजनाएं बनाए जाने में परामर्श दे ।

(5) आन्तरिक सुरक्षा स्कीमों में, पुलिस द्वारा स्वतन्त्र रूप से या अन्य सम्बद्ध अभिकरणों के साथ पूर्ववर्ती अवधि में और सुरक्षा संकट के दौरान, उसके बाद के परिणाम में, की जाने वाली कार्रवाई के लिए नियमित, अद्यतन और व्यापक मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एस.ओ.पीज़.) सम्मिलित की जाएंगी।

(6) जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय आन्तरिक सुरक्षा स्कीमों के आधार पर, पुलिस महानिदेशक, आवश्यक उपस्कर के अर्जन और विशेष इकाइयों सहित पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए योजनाएं तैयार करेगा और समय–समय पर राज्य पुलिस बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

विशेष सुरक्षा परिक्षेत्रों (जोनज) की घोषणा।

75. (1) यदि राज्य की सुरक्षा, किसी क्षेत्र में विद्रोह द्वारा या आतंकवाद या युयुत्सु (मिलिटेन्ट) गतिविधि द्वारा संकट में है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को विशेष सुरक्षा परिक्षेत्र (जोन) घोषित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जब तक कि यह राज्य विधान मण्डल द्वारा नियत अवधि के भीतर संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती है, तीन मास के अवसान पर प्रवर्तन में नहीं रहेगीः

परन्तु यदि राज्य विधानमण्डल नियत अवधि के भीतर भंग हो जाता है, तो अधिसूचना, राज्य विधानमण्डल के पुनगर्ठन की तारीख से तीस दिन के अवसान पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, जब तक कि इसे राज्य विधानमण्डल द्वारा संकल्प द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी और उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित अधिसूचना ऐसी अवधि, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, के अवसान पर परन्तु दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, प्रवर्तन में नहीं रहेगीः

परन्तु यदि ऐसी अधिसूचना के प्रवर्तन में बने रहने को अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कर दिया गया है, तो अधिसूचना ऐसी और अवधि, जैसी संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए प्रवर्तन में बनी रहेगी परन्तु उस तारीख से जिसको कि यह अन्यथा प्रवर्तन में न रहती, से दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

(4) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखी जाएगी।

विशेष सुरक्षा परिक्षेत्रों (जोनज) का प्रशासन।

76. (1) राज्य सरकार, पुलिस बोर्ड की सिफारिश पर विद्रोह या आतंकवाद या युयुत्सा (मिलिटेन्सी) के संकट से निपटने के लिए अधिसूचना द्वारा किसी विशेष सुरक्षा परिक्षेत्र (जोन) में समुचित पुलिस और प्रशासनिक संरचना का सृजन कर सकेगी और पुलिस महानिदेशक के परामर्श से पुलिस और प्रशासनिक संरचनाओं द्वारा अनुसरण में लाई जाने वाली प्रक्रियाओं को विहित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, महानिदेशक पुलिस या जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके किसी साधन या उपस्कर या भौतिक पदार्थ के किसी भी प्रकार के उत्पादन, विक्रय, भण्डारण, कब्जा या प्रवेश करने पर रोक या विनियम के आदेश दे सकेगी यदि ऐसा साधन या उपस्कर या भौतिक पदार्थ विशेष सुरक्षा परिक्षेत्र में, यथास्थिति, विद्रोहियों या आतंकवादियों या लड़ाकुओं का सहायक समझा जाए ।

(3) इस धारा के अधीन जारी कोई अधिसूचना, इस अधिनियम की धारा 75 के अधीन जारी अधिसूचना की प्रवर्तन की अवधि के अवसान पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

(4) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय–10

आपराधिक अन्वेषण

अपराध की रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण।

77. (1) कोई भी व्यक्ति जिसे किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान है, तत्काल मामले की रिपोर्ट, अपनी जानकारी में समस्त विशिष्टियों सहित, पुलिस थाना या अधिकारिता वाली पुलिस चौकी या नजदीक के पुलिस थाना को यथासम्भव शीघ्र करेगाः

परन्तु ऐसे व्यक्ति को ऐसी सूचना की रिपोर्ट दूरभाष के या ऐसे अन्य साधनों, जो पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थाई आदेशों द्वारा विहित किए जाएं, के माध्यम से देनी पर्याप्त होगी।

(2) अपराध के किए जाने की रिपोर्ट की, विधि के अनुसार ऐसी रीति में और ऐसे आरूप (फारमेट) में जो विहित किया जाए, पुलिस थाना के अभिलेखों में तत्काल प्रविष्टि की जाएगी।

(3) अधिकारिता वाले पुलिस थाना या पुलिस चौकी का भारसाधक अधिकारी, तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अनुसार रिपोर्ट का अन्वेषण करवाएगाः

परन्तु यदि अधिकारिता किसी अन्य पुलिस थाना की है तो उस पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी जहां रिपोर्ट दायर की गई या उसकी प्रविष्टि की गई है, ऐसे पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को समस्त आवश्यक सूचना ऐसी रीति में अग्रेषित करवाएगा, जैसी पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थाई आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

जिला पुलिस द्वारा अन्वेषण।

78. (1) प्रत्येक पुलिस थाना में पुलिस महानिदेशक द्वारा समय–समय पर बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले गम्भीर अपराधों के अन्वेषण के लिए एक आपराधिक अन्वेषण इकाई होगी, जिसके अन्तर्गत हत्या, व्यपहरण, लैंगिक और अप्राकृतिक अपराध, डकैती तथा दहेज सम्बन्धी अपराध होंगें और गम्भीर अपराधों से अन्यथा अपराधों का अन्वेषण अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन पुलिस थाना के अन्य कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) द्वारा किया जा सकेगा।

(2) आपराधिक अन्वेषण इकाई में अन्वेषण अधिकारी होगें जो ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी होंगे और जिनकी सहायता ऐसे ग्रेड-II के ऐसी संख्या के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित या पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थायी आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) आपराधिक अन्वेषण इकाई में तैनात अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों का चयन उनकी अभिक्षमता, सक्षमता और सत्यनिष्ठा के आधार पर किया जाएगा और वे तैनातियों (पोस्टिंगज) के प्रयोजन के लिए उप–संवर्ग (सब–काडर) का गठन करेंगे:

परन्तु राज्य सरकार आपराधिक अन्वेषण इकाई के विभिन्न अराजपत्रित रैकों के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण और परीक्षाएं विहित कर सकेगी तथा उप–संवर्ग (सब–काडर) के संगठन और प्रबन्धन के लिए नियम बना सकेगी।

(4) आपराधिक अन्वेषण इकाई में तैनात ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की किसी पुलिस थाना में, न्यूनतम अवधि तीन वर्ष की और अधिकतम सेवाकाल पांच वर्ष का होगा :

परन्तु अधिकारी को अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्रोन्नति पर या लोअर रैंक में पदावनत किए जाने पर या किसी अनुशासनिक मामले में उसे आरोप पत्र की तामील होने पर या न्यायालय में उसके विरुद्ध आपराधिक मामले में आरोप निर्धारित होने पर या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके विरुद्ध आपराधिक मामला रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आदेश दिए जाने पर, स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(5) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर राज्य सरकार अन्वेषण अधिकारियों के और सीन–ऑफ–क्राइम अधिकारियों के अलग–अलग संवर्ग का सृजन करेगी जो वैज्ञानिक अन्वेषण तथा न्यायालयिक (फॅरेन्सिक) विज्ञान में ऐसी अर्हताएं धारित करेंगे जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं तथा सीन–ऑफ–क्राइम अधिकारी जिला उप मण्डल मुख्यालयों पर प्रत्येक पुलिस थाना में तैनात किए जाएंगे।

(6) आपराधिक अन्वेषण इकाई में तैनात अन्वेषण अधिकारी को अन्वेषण से अन्यथा कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा और पुलिस थाना में आपराधिक

अन्वेषण इकाई के अन्वेषण कार्य का पर्यवेक्षण पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी द्वारा सघनता से किया जाएगा। ऐसे अधिकारी, जिसे मामला सौंपा गया है, को तभी बदला जाएगा जब उसे निलम्बित या स्थानान्तरित कर दिया गया हो या निष्पक्षता से मामले का अन्वेषण करने की उसकी क्षमता शक की परिधि में हो या अधिकारी अशक्त हो गया हो। यदि अन्वेषण कार्य को किसी और को पुनः सौंपा जाना प्रस्तावित हो तो पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी कारण अभिलिखित करेगा और जिला पुलिस अधीक्षक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(7) अन्वेषण अधिकारी जिसे मामला सौंपा गया है तत्काल अपराध स्थल (घटना स्थल) पर जाएगा और पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थायी आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्वेषणात्मक प्रक्रियाओं के अनुसार कदम उठाएगा। पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी गम्भीर अपराधों के सभी मामलों में अधिमानतः उसी दिन, परन्तु किसी भी दशा में अड़तालीस घण्टों के भीतर अपराध स्थल (घटना स्थल) पर जाएगा और अपराध का शीघ्र और उचित अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए विनिर्दिष्ट लिखित निदेश जारी करेगा।

उप–मण्डल पुलिस अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण।

79. (1) उप–मण्डल पुलिस अधिकारी अपराध स्थल (सीन ऑफ क्राइम) पर सभी गम्भीर अपराधों के मामले में शीघ्रतम अवसर पर व्यक्तिगत रूप से जाएगा, परन्तु किसी भी दशा में अड़तालीस घण्टों के भीतर वहां पर जाएगा और सुनिश्चित करेगा कि उचित अन्वेषण के लिए अपेक्षित सभी विधिक, वैज्ञानिक और न्यायालयिक (फॅरेन्सिक) अपेक्षाएं पूरी कर ली गई है।

(2) उप–मण्डल पुलिस अधिकारी, आपराधिक अन्वेषण इकाई को सौंपे गए समस्त मामलों में हुई अन्वेषण की प्रगति को मॉनीटर करेगा और लिखित में निदेश जारी करेगा, जहां उसकी राय में किसी विशिष्ट पहलू में विनिर्दिष्ट अन्वेषण अपेक्षित है और गम्भीर अपराध के प्रत्येक मामलें में अन्तिम रिपोर्ट को अधिकारिता वाले न्यायालय में दाखिल करने से पूर्व अनुमोदन प्रदान करेगा।

(3) उप–मण्डल पुलिस अधिकारी सभी गम्भीर अपराधों की प्रगति को सघनता से मॉनीटर यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि अन्वेषण के परिणामों को विचारण न्यायालय के समक्ष सर्वोतम रीति में रखा जाए।

जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्यवेक्षण।

80. (1) जिला पुलिस अधीक्षक जिले में रजिस्ट्रीकृत सभी आपराधिक मामलों में अन्वेषण की प्रगति को सामान्यतः मॉनीटर करेगा और आपराधिक अन्वेषण इकाई द्वारा गम्भीर आपराधिक मामलों में हुई अन्वेषण की प्रगति का सघनता से निरीक्षण करेगा।

(2) पुलिस अधीक्षक की सहायता, आपराधिक अन्वेषण में विधिक परामर्श देने के प्रयोजन के लिए तैनात विधि अधिकारी करेगा।

(3) पुलिस अधीक्षक अपने जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जिला आपराधिक अन्वेषण इकाई के भारसाधक के रूप में गम्भीर अपराधों के मामलों को मॉनीटर करने और सामान्यतः या विनिर्दिष्ट मामलों में अन्वेषण की गति और गुणवता में सुधार लाने हेतु उसे सिफारिशें करने के लिए पदाभिहित करेगा और यदि मामले की अपेक्षा हो तो यह निदेश देगा कि अन्वेषण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप–मण्डल पुलिस अधिकारी या सहायक या पुलिस उप–अधीक्षक के नेतृत्व वाली विशेष अन्वेषण टीम द्वारा किया जाएगा जिसमें जिला के किसी भी पुलिस थाना की अन्वेषण इकाइयों के अन्वेषक अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

अन्य अपराधों का अन्वेषण।

81. गम्भीर अपराधों से अन्यथा यातायात अपराध, दंगे, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाले लघु प्रकृति के विवाद, साधारण उपहति, छोटी चोरी, लोक न्यूसेंस की घटनाएं और ऐसे मामलों, जिनका अन्वेषण आपराधिक अन्वेषण इकाई या विशिष्ट इकाई द्वारा न हुआ हो, सहित अपराधों का अन्वेषण, अधिकारिता वाले पुलिस थाना की सिविल पुलिस द्वारा किया जाएगा।

राज्य गुप्तचर विभाग (स्टेट सी0आई0डी0)।

82. (1) राज्य गुप्तचर विभाग (स्टेट सी0आई0डी0) अन्तरराज्यिक या अंतर जिला, प्रकृति या विशिष्ट प्रकृति के अपराधों का ही अन्वेषण अपने हाथ में लेगा, जिसके अन्तर्गत साइबर अपराध, संगठित अपराध या ऐसे अन्य प्रकार के अपराध जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए जाएं, भी सम्मिलित होंगे।

(2) पुलिस महानिदेशक गुप्तचर विभाग को, राज्य में किसी भी पुलिस थाना में रजिस्ट्रीकृत किसी भी मामले का अन्वेषण सौंप सकेगा, यदि विशेष अन्वेषण की शीघ्र आवश्यकता है या ऐसा करना अन्वेषण प्रक्रिया में लोक विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

(3) राज्य गुप्तचर विभाग (सी0आई0डी0) के अधिकारियों को अन्वेषण के विधिक पहुलओं और पश्चात्वर्ती अभियोजन में सहायता प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से एक विधि अधिकारी होगा, जो संयुक्त निदेशक(अभियोजन) की पंक्ति से नीचे का न होगा।

(4) गुप्तचर विभाग (सी0आई0डी0) का अपने मुख्यालय पर अपना एक पुलिस थाना होगा जिसकी अधिकारिता पूरे राज्य में होगी ताकि गुप्तचर विभाग द्वारा अन्वेषित मामलों के रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाया जा सके।

(5) गुप्तचर विभाग(सी0आई0डी0) का प्रमुख (हैड) जटिल मामलों का अन्वेषण करने के लिए विशेष अन्वेषण टीमों का गठन कर सकेगा और उसे अन्वेषण की रिपोर्टें मंगवाने और गुप्तचर विभाग तथा जिला आपराधिक अन्वेषण इकाई के अन्वेषक अधिकारियों को एड्वाइजॅरीज जारी करने की शक्तियां होंगी।

(6) गुप्तचर विभाग के अन्वेषक अधिकारी धारा 78 की उपधारा (5) के अधीन सृजित अन्वेषक अधिकारियों के संवर्ग का भाग होंगे और विभाग के सीन–ऑफ क्राइम अधिकारी सीन–ऑफ–क्राइम अधिकारी संवर्ग के भाग होंगे।

(7) जिला पुलिस अधीक्षक अन्वेषक अधिकारियों को समस्त सहायता और क्रिमिनल इन्टैलिजेंस प्रदान करेगा चाहे वो गुप्तचर विभाग के हों या अन्यथा।

(8) गुप्तचर विभाग का प्रमुख (हैड) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास के भीतर एक विस्तृत अन्वेषण नियमावली तैयार करवाएगा, जिसमें गुप्तचर विभाग, जिला आपराधिक अन्वेषण इकाई और पुलिस थाना स्तर की आपराधिक अन्वेषण इकाईयों द्वारा गम्भीर अपराधों के अन्वेषण हेतु विस्तृत संचालन प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट की गई हों। नियमावली को पुलिस महानिदेशक की सिफारिशों सहित राज्य पुलिस बोर्ड के समक्ष, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से नौ मास के भीतर इसके अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

(9) गुप्तचर विभाग, गिरफ्तारियों, पहचान, वांछित, लापता व्यक्तियों, उद्घोषित अपराधियों, सूचनाओं (नोटिसीज) और चेतावनियां आदि के बारे में सूचना देने वाला सामयिक अन्वेषण गजट, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विषय वस्तुओं सहित, जैसी पुलिस महानिदेशक समय–समय पर निदेश दे, प्रकाशित करेगा। गजट को व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा और पुलिस विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

न्याय सम्बन्धी (फॅरेन्सिकज़)।

83. (1) निदेशक न्याय (फॅरेन्सिक) विज्ञान समय–समय पर राज्य पुलिस बोर्ड के अनुमोदन से अपराध के वैज्ञानिक अन्वेषण तथा वैज्ञानिक साक्ष्य, जिसे विभिन्न परिस्थितियों में एकत्रित किया जाना चाहिए, के प्रयोजन के

लिए राज्य सरकार को, राज्य, रेंज और जिला स्तर पर अपेक्षित फरेंन्सिक प्रसुविधाओं या सेवाओं की बाबत संसूचित करेगा।

(2) राज्य सरकार छः मास के भीतर अपेक्षित न्याय सम्बन्धी (फॅरेन्सिक) प्रसुविधाओं और सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए आवश्यक वित्तीय स्त्रोत उपलब्ध करवाएगी और यदि यह प्रसुविधा उपलब्ध करवाने में असमर्थ है तो यह कारण संसूचित करेगी जिन्हें राज्य पुलिस बोर्ड के समक्ष इसकी आगामी बैठक में रखा जाएगा।

(3) गुप्तचर विभाग या जिला के पुलिस थाना की आपराधिक अन्वेषण इकाई के समस्त अन्वेषक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे निदेशक न्याय (फरेंसिक) विज्ञान द्वारा विहित रीति में नमूनों का संग्रहण करें और उन्हें अभिहित न्यायालयिक प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे।

(4) पुलिस महानिदेशक, निदेशक न्याय (फरेंसिक) विज्ञान के परामर्श से स्थायी आदेश द्वारा––

(i) गुप्तचर विभाग और आपराधिक अन्वेषण इकाई के अन्वेषक अधिकारियों के लिए डिप्लोमा और प्रमाण पत्र सहित विशेषज्ञता (ऐक्सपरटाइज़) निहित करेगा;

(ii) वैज्ञानिक पूछ–ताछ केन्द्रों के विनिर्देश और ऐसे केन्द्रों में मानक संचालन प्रक्रिया को अवधारित करेगा;

(iii) दृश्य–श्रव्य और अन्य उपस्कर, जिन्हें अन्वेषण में प्रयुक्त किया जा सकेगा तथा प्रयोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की प्रकृति और विनिर्देश अवधारित कर सकेगा; और

(iv) विभिन्न प्रकार के अपराधों के अन्वेषण में न्याय सम्बन्धी (फरेंसिक) विश्लेषणों हेतु नमूनों के संग्रहण के लिए प्रक्रिया सहित मानक संचालन प्रक्रियाएं अधिकथित करेगा।

अपराध और फॅरेन्सिक डाटा बैंकों का रख–रखाव।

84. (1) राज्य गुप्तचर विभाग, अपराध अन्वेषण, अपराध निवारण और गुम या लापता हुए व्यक्तियों तथा सम्पत्ति को खोजने के लिए महत्वपूर्ण समस्त सूचना का डाटा बैंक बनाए रखेगा और प्रयोजन के लिए राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो और जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो को प्रशासित करेगा।

(2) गुप्तचर विभाग जिला पुलिस अधीक्षक तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के साथ डाटा को अद्यतन करने, उसमें भागी होने और इसका आदान–प्रदान करने के लिए पर्याप्त संयोजन (लिंकेज) स्थापित करेगा।

(3) गुप्तचर विभाग का अपना एक अंगुली छाप ब्यूरो होगा जिसका प्रमुख (हैड) कम से कम पुलिस अधीक्षक की पंक्ति का अधिकारी होगा । ब्यूरो अन्वेषण के दौरान ब्यूरो, राज्य गुप्तचर विभाग या जिला पुलिस द्वारा संगृहीत सहित अंगुली छापों का कम्पयूटरीकृत अन्वेषणीय (ढूंढने योग्य) डाटा बैंक बनाए रखेगा। राज्य अंगुली छाप ब्यूरो अन्य राज्यों तथा भारत सरकार में इसी प्रकार के अभिकरणों के साथ क्रियाकलाप समन्वित करेगा। अंगुली छाप ब्यूरो जिला पुलिस के अन्वेषण अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और विभिन्न परिस्थितियों में अंगुली छापों को उठाने, विकसित करने तथा मिलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित करेगा और प्रयोजन के लिए अंगुली छाप नियमावली का प्रकाशन करेगा।

गोपनीयता और उचित अन्वेषण के लिए आदरभाव।

85. (1) प्रत्येक अन्वेषण अधिकारी और उसके पदीय वरिष्ठ, अपराध पीड़ितों और साक्षियों की गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता के प्रति आदर भाव रखेंगे।

(2) प्रत्येक अन्वेषण अधिकारी और उसके पदीय वरिष्ठ, उचित और निष्पक्ष अन्वेषण के लिए सभी सम्भव कदम उठाएंगे और अपराध पीड़ितों तथा साक्षियों के गोपनीयता के अधिकार के प्रति आदर भाव रखते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सूचना, जो लोक हित में लोगों के समक्ष, अन्वेषण प्रक्रिया में लोक विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए प्रकट की जानी आवश्यक है, ही यथासम्भव शीघ्र प्रकट की गई है ।

(3) पुलिस महानिदेशक विनियमों द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

अध्याय–11

विनियमन, नियन्त्रण और अनुशासन

कतिपय पद्धतियों का प्रतिषेध।

86. (1) कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे किसी भी संगम में न तो शामिल होगा न ही उनका सदस्य बनेगा न ही ऐसे संगम के क्रियाकलापों में भाग लेगा, जिसका उद्देश्य या लक्ष्य पुलिस सेवाओं से सम्बन्धित विषयों पर सामूहिक वार्ता करना है।

(2) किसी भी राजपत्रित पुलिस अधिकारी या ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को, उसकी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित उसके गृह जिला में तैनात नहीं किया जाएगा और किसी भी ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को गृह पुलिस थाना में तैनात नहीं किया जाएगा।

(3) जब तक सक्षम प्राधिकारी ऐसा करने के लिए अभिव्यक्ततः उसे लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दे, कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन आने वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेगा।

पुलिस अधिकारी द्वारा अनुशासन भंग और अनुशासनिक अवचार।

87. (1) जो कोई भी पुलिस अधिकारी होने के नाते–

(i) अपने शासकीय कर्त्तव्यों के निवर्हन में किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ देने या उसे कोई नुकसान कारित करने के उद्देश्य से किसी विधि या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों या जारी अनुदेश का अनुसरण करने में जानबूझकर उल्लंघन करता है या असफल रहता है; या

(ii) किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ देने या उसे कोई नुकसान कारित करने के आशय से अपने सरकारी वरिष्ठ या निदेश जारी करने को सशक्त लोक सेवक के विधि पूर्वक निदेश की जानबूझकर अवज्ञा करता है; या

(iii) अपना कर्त्तव्य निभाते समय कायरता का प्रदर्शन करता है; या

(iv) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में अपने कर्त्तव्यों का अपत्याग करता है या अपने कर्त्तव्य से हट जाता है; या

(v) किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की घोर अवज्ञा करता है; या

(vi) स्वयं को किसी प्रदर्शन जुलूस या हड़ताल में लगाता है या भाग लेता है या किसी भी प्राधिकारी को किसी चीज को स्वीकार करने के लिए बाध्य करने हेतु हड़ताल या प्रपीड़न के किसी रूप को किसी भी तरह से दुष्प्रेरित करता है; या

(vii) कोई अन्य सेवा अवचार करता है;

तो यह समझा जाएगा कि उसने सेवा अनुशासन को भंग किया है तो वह इस अधिनियम के उपबन्धों और सुसंगत आचरण नियमों के अनुसार पुलिस अधिकारी के लिए अशोभनीय आचरण हेतु अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दंडित किए जाने के लिए दायी होगा ।

(2) राज्य सरकार, अवचार के स्वरूप को देखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ''मुख्य'' और ''लघु'' अवचारों को वर्गीकृत कर सकेगी, जिनके लिए निम्नलिखित में से कोई शास्ति क्रमशः प्रदान की जाएगी, अर्थात्:–

(I) मुख्य शास्तियां––

(क) सेवा से पदच्युत करना; या

(ख) सेवा से हटाना; या

(ग) अनिवार्य सेवानिवृति; या

(घ) पंक्ति (रैंक) में अवनत किया जाना : परन्तु ऐसी अवनति ऐसी पंक्ति (रैंक), जिसमें कि ऐसा अधिकारी भर्ती किया गया था, से नीचे की पंक्ति (रैंक) में नहीं की जाएगीः

परन्तु पुलिस अधिकारी, जिसे दाण्डिक न्यायालय द्वारा एक मास से अधिक के कारावास से दण्डित किया गया है या जिसका अवचार घोर प्रकृति का है जिसमें निम्नलिखित भी है––

(i) गुप्तचरी या राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप; या

(ii) लोक अवसंरचना या सार्वजनिक सम्पत्ति को विच्छिन्न करना; या

(iii) साथी पुलिस कर्मचारियों के बीच अनुशासनहीनता पैदा करना या हड़ताल, सामूहिक अनुपस्थान का सहारा लेना; या

(iv) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता पैदा करना या दंगे आदि कारित करना; या

(v) विधिपूर्ण अभिरक्षा में कैदी के निकल भागने में उपेक्षा करना या उसमें मौनानुमति देना; या

(vi) भ्रष्टाचार या शपथ–भंग; या

(vii) ऐसा अन्य मुख्य अवचार, जिसे राज्य सरकार इसकी प्रकृति को देखते हुए, घोर प्रकृति का अवचार घोषित करे;

सेवा से पदच्युत करने वाली शास्ति अधिरोपित की जाएगी; और

(II) लघु शास्तियां–

(क) वेतन में कमी टाईम स्केल में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तीन स्टेजों तक रोकना; या

(ख) तीन वर्षों तक के लिए वेतन वृद्धि को रोकना; या

(ग) एक मास के वेतन से अनधिक जुर्माना; या

(घ) धिग्दण्ड या परिनिंदा; या

(ङ) फटीग ड्रिल।

अनुशासनिक शास्तियां।

88. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर की पंक्ति का कोई भी राजपत्रित पुलिस अधिकारी किसी भी अराजपत्रित पुलिस अधिकारी, जिसके लिए ऐसा राजपत्रित पुलिस अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है, के लिए कोई प्रमुख शास्ति दे सकेगा।

(2) पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर की पंक्ति के किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी को विहित प्रक्रिया के अनुसार अपने शासकीय नियन्त्रणाधीन किसी भी अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को कोई छोटी शास्ति प्रदान (अधिरोपित) करने की शक्ति होगी ।

(3) सहायक पुलिस अधीक्षक या उप–पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पंक्ति या उच्चतर पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी को उप–निरीक्षक पुलिस की पंक्ति तक के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों को ऐसे अवचार के लिए जैसा विहित किया जाए धिग्दण्ड या परिनिंदा का दण्ड देने की शक्ति होगी।

(4) निरीक्षक या इससे ऊपर की पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी, विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों को ऐसे अवचार के लिए जैसा विहित किया जाए धिग्दण्ड या परिनिंदा या फटीग ड्रिल की लघु शास्ति दे सकेगा।

(5) उपधारा (1) से (4) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति यदि किसी पुलिस अधिकारी को दी गई है, अभियोजन के लिए और उसके द्वारा किए गए किसी दांडिक अपराध हेतु दण्ड के लिए उसके दायित्व या उसके सिद्ध हुए अवचार द्वारा कारित धनीय हानि की पूर्ति करने के उसके दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी।

निलम्बन।

89. (1) यथास्थिति, कोई भी राजपत्रित पुलिस अधिकारी या निरीक्षक या पुलिस थाना का कोई भारसाधक अधिकारी, जांच या अन्वेषण के लम्बित रहते हुए अपने नियन्त्रणाधीन, किसी अराजपत्रित अधिकारी, जो घोरतम अवचार का दोषी या युक्ति–युक्त रूप से संदिग्ध दोषी है और जिसका तुरन्त निलम्बन लोकहित में या पुलिस बल में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, को निलम्बित कर सकेगाः

परन्तु जहां अनुशासन प्राधिकारी से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी, अपने नियन्त्रणाधीन किसी पुलिस अधिकारी के निलम्बन के आदेश करता है तो वह तुरन्त अनुशासन प्राधिकारी को सूचित करेगा जो आदेश की या तो पुष्टि करेगा या उसे विखण्डित करेगा ।

(2) राजपत्रित पुलिस अधिकारियों का निलम्बन, सुसंगत सेवा नियमों के अधीन निलम्बन का आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन पारित निलम्बन का प्रत्येक आदेश, उसके संक्षिप्त कारण देते हुए लिखित में होगा।

(4) जहां किसी पुलिस अधिकारी को (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में या अन्यथा) निलम्बित किया जाता है और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उसके निलम्बन के जारी रहने के दौरान आरम्भ की गई है तो उसे निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, निदेश दे सकेगा कि जब तक सभी या ऐसी किसी कार्यवाही का पर्यवसान नहीं हो जाता तब तक उसका निलम्बन जारी रहेगा।

(5) निलम्बन के आदेश को स्वप्रेरणा से या निलम्बित अधिकारी के अभ्यावेदन पर उस प्राधिकारी द्वारा जिसने आदेश किया था या किसी प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ वह प्राधिकारी है, द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहृत, उपांतरित या पुनर्विलोकित किया जा सकेगा।

(6) उन सभी मामलों की रिपोर्ट, जहां निलम्बन की अवधि एक वर्ष से अधिक हो जाती है, तो वहां रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड़ को की जाएगी।

दण्ड के आदेशों की अपील।

90. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए नियमों के अधीन किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध पारित किसी दण्ड के आदेश की अपीलः––

(i) जहां आदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित किया गया है, राज्य सरकार को की जाएगी;

(ii) जहां आदेश पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, उस संगठन के पुलिस पदानुक्रम की अगली उच्चतर पंक्ति के अधिकारी को की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों के लिए अलग से नियम।

91. (1) सभी अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को लागू वर्गीकरण, अनुशासन, अपील और आचरण नियम लागू नहीं होंगे और वे उक्त प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के राजपत्रित अधिकारी, उनकी सेवा की शर्तों से सम्बन्धित मामलों में अपने–अपने नियमों द्वारा शासित होंगे।

पुलिस अधिकारियों का सदैव कर्त्तव्य पर होना।

92. (1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो छुटटी पर नहीं है या निलम्बित है, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए सदैव कर्त्तव्य पर समझा जाएगा और किसी भी समय विधि के अनुसार राज्य के किसी भी भाग में या किसी अन्य राज्य में तैनात किया जा सकेगा।

(2) जब तक पुलिस महानिदेशक या उसके द्वारा ऐसी अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों और राजपत्रित राज्य पुलिस अधिकारियों की दशा में सक्षम अधिकारी अभिव्यक्ततः ऐसा करने के लिए उसे लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दे कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का अपत्याग नहीं करेगा या अपने पद के कर्त्तव्य से अपने को प्रत्याहृत नहीं करेगा। पुलिस अधिकारी जो छुट्टी पर है, ऐसी छुट्टी के अवसान पर कर्त्तव्य पर स्वयं को रिपोर्ट करने के लिए, बिना किसी युक्ति–युक्त कारण से असफल रहता है, इस धारा के अन्तर्गत अपने पद के कर्त्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत किया गया समझा जाएगा।

अध्याय–12

पुलिस की जवाबदारी

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण।

93. (1) पुलिस अधिकारियों द्वारा आपराधिक अवचार के अभिकथनों को प्राप्त करने और उनकी जांच करने के लिए लोक आयुक्त हिमाचल प्रदेश से समाविष्ट राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा । राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण पुलिस जवाबदारी की प्रणाली का साधारणतया निरीक्षण भी कर सकेगा ताकि पुलिस सेवाओं में भ्रष्टाचार की संभावना को कम किया जा सके। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सिफारिशें राज्य सरकार पर बाध्य होंगी।

(2) सभी मामलों में जहां सिफारिशों की प्राप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई है, वहां राज्य सरकार इसके कारणों को प्राधिकरण को सूचित करेगी।

(3) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियां ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

94. (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में आपराधिक अवचार सहित अवचार की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक पुलिस शिकायत जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण / प्राधिकरण स्थापित करेगी। प्राधिकरण, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के आदेशों पर जिला में अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरम्भ की गई विभागीय जाँचो की स्थिति को भी मॉनीटर करेगा।

(2) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियां ऐसी होंगी जैसी राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सहमति से विहित की जाएं।

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना।

95. (1) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का प्रमुख (हैड) मण्डल का मण्डलायुक्त होगा और इसमें तीन अन्य गैर सरकारी सदस्य (जो पुलिस अधीक्षक और इससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिला न्यायवादी या इससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत अभियोजक, या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या इससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी, हो सकेंगे) होंगे। गैर सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा लोक आयुक्त के परामर्श से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और वे पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने या बने रहने का पात्र नहीं होगा यदि––

(i) वह भारत का नागरिक नहीं है; या

(ii) किसी न्यायालय में आपराधिक मामले में उसके विरुद्ध आरोप–पत्र दायर हो चुका है; या

(iii) उसे पदच्युत कर दिया गया है या सेवा से हटा दिया गया है या भ्रष्टाचार या अवचार के आधारों पर लोक नियोजन से अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया जा चुका है; या

(iv) वह विकृत चित्त है; या

(v) वह लोक पद धारण करता है या किसी राजनैतिक दल या राजनैतिक संगठन का पद धारी है ।

(3) गैर सरकारी सदस्यों को ऐसी दरों पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, बैठक के लिए फीस और यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(4) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की बैठक, जैसी प्रायः अपेक्षित हो, होगी परन्तु मास में कम से कम एक बार होगी और इसकी कार्यवाहियां सार्वजनिक होंगी तथा बैठक का अभिलेख रखा जाएगा।

96. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण–

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य।

(i) इसके द्वारा प्रत्यक्षतः प्राप्त ''आपराधिक अवचार'' की शिकायतों को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को आगामी कार्रवाई के लिए अग्रेषित करेगा;

(ii) इसके द्वारा प्राप्त अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को, यथास्थिति, जिला पुलिस अधीक्षक, बटालियन के कमांडेंट या अन्य अनुशासन प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा;

(iii) किसी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध अवचार के अन्य अभिकथनों को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सूचनाधीन, राज्य सरकार को आगामी कार्रवाई के लिए अग्रेषित करेगा;

(iv) इसके द्वारा अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अवचार की शिकायतों के आधार पर आरम्भ की गई विभागीय जांचों की स्थिति को, मॉनीटर करेगा और ऐसी आवृत्ति (फ्रीक्वेन्सी) के साथ, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए, जिला पुलिस अधीक्षक, बटालियन के कमाडेंट या अन्य अनुशासन प्राधिकारी से रिपोर्टें अभिप्राप्त करेगा। प्राधिकरण, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के आदेशों पर, जिला में अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के विरुद्व आरम्भ की गई विभागीय जांचों को भी मॉनीटर करेगा;

(v) ऐसे मामलों में, जहां मूल शिकायत, जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त हुई थी, जिला शिकायत प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी जांच में असम्यक् विलम्ब हो रहा है, ऐसे किसी मामले में शीघ्र जांच पूरी करने के लिए, सम्बद्ध अनुशासन प्राधिकारी को समुचित परामर्श देगा (जारी करेगा);

(vi) अनुशासन प्राधिकारी से रिपोर्ट मंगवाएगा, और जब शिकायतकर्ता उसके अवचार की शिकायत में विभागीय जांच की प्रक्रिया में अनुचित विलंब द्वारा असंतुष्ट होने से, ऐसे मामले को जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के ध्यान में लाता है, तो अन्य प्राधिकारी द्वारा नई जांच, यदि आवश्यक हो, सहित अतिरिक्त कार्रवाई के लिए समुचित परामर्श देगा (जारी करेगा);

(vii) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को उन मामलों की रिपोर्ट करेगा जिनमें किसी अराजपत्रित पुलिस अधिकारी की बाबत, "अवचार" के लिए जांच संबन्धित जांच अधिकारी द्वारा अनुशासन प्राधिकारी को जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के परामर्श (एडवाइस) के बावजूद भी समय पर पूरी नहीं की गई है:

परन्तु जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण किसी भी समय कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के निदेशों के अध्यधीन अवचार की शिकायत पर आगामी कार्रवाई न करने का विनिश्चय कर सकेगा, यदि ऐसा प्रतीत होता हो कि शिकायत भौतिक विशिष्टियों से गलत है या विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में अड़चन डालने की भावना से तंग करने वाली या विद्वेषपूर्ण है:

परन्तु यह और कि साशय मिथ्या, तंग करने वाली या विद्वेषपूर्ण शिकायत के मामले में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को, जैसा मामले की परिस्थितियों में समुचित समझा जाए, पच्चीस हजार रुपए से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित करने की सिफारिश कर सकेगा।

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट।

97. प्रत्येक जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के अन्त में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निन्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा:–

(i) वर्ष के दौरान इसके द्वारा क्रमशः राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और अनुशासन प्राधिकारी को अग्रेषित "आपराधिक अवचार" और "अन्य अवचार" के मामलों की संख्या और प्रकार;

(ii) वर्ष के दौरान इसके द्वारा मॉनीटर किए गए मामलों की संख्या और प्रकार;

(iii) शिकायतकर्ताओं द्वारा, उनकी शिकायतों पर विभागीय जांच से असन्तुष्ट होने पर, इसे निर्दिष्ट 'अवचार' के मामलों और ऐसे मामलों, जिसमें इसके द्वारा अनुशासन प्राधिकारी को आगामी कार्रवाई के लिए परामर्श जारी किया गया था, की संख्या और प्रकार; और

(iv) जिला में पुलिस अधिकारियों द्वारा पहचानने योग्य अवचार के उदाहरण (पैटरनज) यदि कोई हैं,और पुलिस जवाबदारी बढ़ाने हेतु उपाय करने की सिफारिशें।

शिकायतकर्ता के अधिकार।

98. (1) कोई भी व्यक्ति, "आपराधिक अवचार" सहित किसी पुलिस अधिकारी द्वारा "अवचार" से सम्बन्धित अपनी शिकायत या तो विभागीय पुलिस प्राधिकारियों या राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पास, दायर कर सकेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति ने पुलिस प्राधिकरण के पास शिकायत दायर कर रखी है, विभागीय जांच के किसी भी स्तर पर जांच की प्रक्रिया में किसी असम्यक् विलम्ब की बाबत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस प्राधिकरण को सूचित कर सकेगा।

(3) शिकायतकर्ता को, जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की प्रगति से समय–समय पर सूचित किए जाते रहने का अधिकार होगा और जांच या विभागीय कार्यवाहियों के निष्कर्षों के साथ–साथ की गई अंतिम कार्रवाई से शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा।

(4) शिकायतकर्ता उससे सम्बद्ध जांच के मामले की सुनवाईयों में उपस्थित हो सकेगा और प्रत्येक सुनवाई के पश्चात् शिकायतकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख और स्थान के बारे में सूचित किया जाएगा।

(5) समस्त सुनवाईयां हिन्दी (राजभाषा) में या अंग्रेजी में संचालित की जाएंगी और यदि शिकायतकर्ता उस भाषा को, जिसमें कार्यवाहियां या उसका कोई भाग संचालित किया गया है, को समझने में असमर्थ है तो, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में एक लिखित अनुलिपि बिना लागत के (निःशुल्क में) शिकायतकर्ता को उपलब्ध करवाई जाएगी।

पुलिस और राज्य के अन्य अभिकरणों के कर्त्तव्य।

99. (1) जिला पुलिस और राज्य पुलिस के साथ–साथ किसी अन्य सम्बद्ध अभिकरण के प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को समस्त सूचना, जो उनके कर्त्तव्यों के पालन में युक्तियुक्त रूप में अपेक्षित है, प्रदान करे।

(2) प्राधिकारी, जिसके द्वारा राज्य या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सिफारिशें कार्यान्वित की जानी अपेक्षित हैं, की यदि यह राय है कि ऐसी सिफारिश को कार्यान्वित करना समीचीन नहीं है, तो यथाशक्य शीघ्र, परन्तु सिफारिशों की प्राप्ति के तीस दिन के अपश्चात् राज्य सरकार को कारण सूचित करेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की कार्य–प्रणाली में हस्तक्षेप करने का वर्जन।

100. (1) जो कोई, सिवाय विधिपूर्ण कर्त्तव्यों के अनुक्रम में, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालता है या हस्तक्षेप करता है, दोषसिद्धि पर,कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगाः

परन्तु कार्यवाहियों को भ्रमित करने के आशय से, झूठी, तंग करने वाली या विद्वेषपूर्ण शिकायत करने के लिए किसी व्यक्ति या किसी साक्षी या पुलिस अवचार के किसी पीड़ित को दी गई धमकी, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा को, यथास्थिति, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप समझा जाएगा।

(2) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का यदि यह निष्कर्ष है कि पुलिस अवचार की शिकायत साशय झूठी है या तंग करने वाली है या

असद्भावपूर्ण है, तो वह पच्चीस हजार रुपए से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगाः

परन्तु ऐसा कोई आदेश प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।

राज्य पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा अनुपालन संपरीक्षा (परफॉरमैंस आडिट)।

101. (1) राज्य पुलिस बोर्ड या राज्य सरकार, राज्य पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो से पुलिस कार्यप्रणाली या पुलिस अनुपालना (परफॉरमैंस) के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन या लोकमत सहित विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण संचालित करके,एक अनुपालना संपरीक्षा (परफॉरमैंस ऑडिट) करने का प्रबन्ध करने की अपेक्षा कर सकेगी और बदलते परिवेश में पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) की योग्यता में सुधार करने या नई पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) की अपेक्षाओं पर सिफारिशें कर सकेगी।

(2) पुलिस महानिदेशक द्वारा सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियों सहित ब्यूरो की रिपोर्ट विनिश्चय के लिए राज्य पुलिस बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

102. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में, सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां राज्य सरकार, राज्य पुलिस बोर्ड, इसके सदस्यों और कर्मचारिवृन्द, राज्य तथा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, इसके सदस्यों, इसके अन्वेषकों, कर्मचारिवृन्द या किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होंगी।

निधि सुलभ कराना (फंडिंग)।

103. राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों को, उनके कृत्यों के प्रभावी अनुपालन के लिए, पर्याप्त निधि प्रदान कर दी गई है। पुलिस, राज्य सरकार के साधारण या विनिर्दिष्ट निदेशों के अनुसार के सिवाय, पुलिस राज्य या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को कोई भौतिक या मानव संसाधन उपलब्ध नहीं करवाएगी।

अध्याय–13

कल्याण और शिकायत प्रतितोष क्रियाविधि (मेकॅनिज्म)

कैरियर प्रगति।

104. राज्य सरकार, समस्त रैंको (पंक्तियों) के सराहनीय पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त प्रोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीतियां (पालिसियां) बनाएगी।

कल्याण समिति।

105. (1) पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों के कल्याण उपायों के कार्यान्वयन के लिए, पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में उसकी सहायता हेतु एक पुलिस कल्याण समिति होगी जिसका प्रमुख ऐसा अधिकारी होगा, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

(2) समिति में समस्त पंक्ति के पुलिस प्रतिनिधि होंगे और परामर्शी होने की हैसियत से अन्य सदस्य भी हो सकेंगे। समिति के सदस्य पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) पुलिस कल्याण समिति के कृत्य और क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ–साथ, स्वास्थ्य की देखभाल (सेवानिवृत्ति के पश्चात् स्वास्थ्य की देखभाल सहित), सेवानिवृत्ति के पश्चात् / मृत्यु पश्चात् वित्तीय सहायता, सामूहिक गृह निर्माण, शिक्षा और खेल क्रियाकलापों तथा पुलिस अधिकारियों के परिवारों को कैरियर (आजीविका) परामर्श देना, परिवार के सदस्यों को उद्यमकर्ता कार्य में प्रशिक्षण देने / स्वरोजगार, रोजगार देने वाले अवसर उत्पन्न करना और सद्भावपूर्वक कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्यवाहियों का सामना करने पर सम्बन्धित मामलों में, कानूनी सहायता देना, होंगे।

(4) पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए निधि का गठन करेगा जो समरूप अनुदानों (मैचिग ग्रान्टस) के साथ–साथ पूर्ण अनुदान (आउट राइट ग्रांटस) की व्यवस्था कर सकेगी ।

(5) राज्य सरकार समिति की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए निश्चयात्मकता (मॉडलिटिज) विहित करेगी और नियमों के अध्यधीन, पुलिस

महानिदेशक इसकी दैनिक कार्य प्रणाली को विनियमित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

जोखिम राशि (बीमा कवरेज), अस्पताल आदि।

106. (1) राज्य सरकार, समस्त पुलिस अधिकारियों को, उनके कर्त्तव्य के अनुपालन के दौरान हुई किसी क्षति, निःशक्तता या मृत्यु के लिए पर्याप्त बीमा जोखिम राशि हेतु स्कीम तैयार करेगी।

(2) विशेषज्ञीय विंगों, जैसे कि बम निरोधक दस्तों, कमांडो समूहों आदि में लगाए गए पुलिस अधिकारियों को इन कर्त्तव्यों के पालन में अन्तर्वलित जोखिमों के अनुरूप जोखिम भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(3) बटालियन मुख्यालयों और ऐसे अन्य अवस्थानों जैसे आवश्यक समझे जाएं पर, पुलिस अधिकारियों को अपेक्षित स्वास्थ्य के मानक और शारीरिक योग्यता बनाए रखने के लिए साधारण उपचार देने हेतु, समुचित चिकित्सा प्रसुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

(4) पुलिस थाना, बटालियनों और अन्य पुलिस स्थापनों में व्यवसायिक तनावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श देने वाली सुविधाएं प्रदान करने के लिए सम्यक् ध्यान दिया जाएगा।

शिकायत प्रतितोष।

107. (1) जिला, बटालियन, रेंज और मुख्यालय स्तर पर पुलिस शिकायत समितियां होंगी जिनका नेतृत्व (हैड) क्रमशः अधीक्षक, कमांडेंट, उप–महानिरीक्षक और ऐसे अधिकारी जो अतिरिक्त महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक समिति में पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य राजपत्रित पुलिस अधिकारी होंगेः

परन्तु मुख्यालय समिति के लिए नामनिर्दिष्ट दो राजपत्रित पुलिस अधिकारी कम से कम महानिरीक्षक की पंक्ति के होंगे।

(2) ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी के अभ्यावेदन, यथास्थिति, जिला या बटालियन समिति को लिखित में किए जाएंगे।

(3) ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी के अभ्यावेदन, यथास्थिति, रेंज या इकाई के उप–महानिरीक्षक को लिखित में किए जाएंगे।

(4) राजपत्रित पुलिस अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन मुख्यालय समिति को किए जाएंगे जो जिला, बटालियन और रेंज समितियों के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलें भी सुनेगीः

परन्तु समस्त ऐसे मामलों में जहां अभ्यावेदन में सरकार के स्तर पर विचार किया जाना अपेक्षित है, पुलिस महानिदेशक मामले को मुख्यालय समिति को निर्दिष्ट करने के बजाए, अभ्यावेदन को राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा ।

(5) समस्त अभ्यावेदन और अपीलें तीस दिन के भीतर विनिश्चित कर दी जानी चाहिए और तीस दिन के पश्चात् विनिश्चित मामलों का संक्षिप्त कथन और साथ ही तीस दिन से पुराने और अभी तक लम्बित मामलों की सूची की, प्रत्येक मामले के तथ्यों और विलम्ब के कारणों सहित, रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड को दी जाएगी जो समुचित निदेश जारी कर सकेगा।

(6) शिकायतों का विश्लेषण, उनके कारणों और पुलिस सेवाओं के मनोबल और दक्षता पर उसके प्रभाव को, प्रतिवर्ष कार्यान्वित किया जाएगा और राज्य पुलिस बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा।

काम के घण्टे।

108. (1) राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए, प्रभावी कदम उठाएगी कि एक पुलिस अधिकारी के एक दिन में औसत कर्त्तव्य (डियूटी) के घण्टे आठ से अधिक न हो :

परन्तु अपवादिक कारणों के लिए किसी पुलिस अधिकारी के कर्त्तव्य के घण्टों को बारह घण्टे तक बढ़ाया जा सकेगा और ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त प्रतिकर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(2) राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि समस्त पुलिस अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन का अवकाश दिया जाए ।

अध्याय–14

अपराध, शास्तियां और शक्तियां

सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन।

109. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी सड़क, पथ या सार्वजनिक मार्ग में जुलूस निकालना या सभा का संयोजन अथवा इकट्ठा करना चाहता है, तो उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह, अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाना के प्रभारी या उप–मण्डल पुलिस अधिकारी या जिला पुलिस अधीक्षक को कम से कम चौबीस घण्टे पूर्व लिखित में इसकी सूचना दे।

(2) जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पुलिस अधिकारी, जो उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, का यह समाधान होने पर कि, ऐसी सभा या जुलूस, यदि अनियंत्रित या अविनियमित हो, से परिशांति–भंग होने की सम्भावना है, तो वह संतोषप्रद विनियम–विषयक इन्तजामों, जिनके अनुपालन में ऐसी सभा या जुलूस हो, की व्यवस्था करने सहित आवश्यक निर्बन्धन और शर्तें अधिरोपित कर सकेगा।

(3) जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पुलिस अधिकारी, जो उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, जहां आवश्यक हो, सड़कों या सार्वजनिक पथों या सार्वजनिक मार्गों पर सभाओं और जुलूसों को संचालित करने के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे जुलूसों को गुजरने के लिए मार्गों को और समय को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

विहित शर्तों का अतिक्रमण करने वाली सभाएं और जुलूस।

110. यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या कोई राजपत्रित पुलिस अधिकारी या पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी किसी सभा या जुलूस, जिसे इस अधिनियम की धारा 109 के उपबन्धों के उल्लंघन में आयोजित (संयोजित) या संगठित किया गया है, को रोकने की शक्तियां होंगी, और ऐसी सभा या जुलूस को तितर–बितर करने का आदेश देगा और ऐसी सभा ''अप्राधिकृत सभा'' समझी जाएगी।

सार्वजनिक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए निदेश।

111. मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या उस द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत अन्य पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो सार्वजनिक सड़कों और पथों, सार्वजनिक मार्गों, घाटों, उतरने के स्थानों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जनता को

बाधा, क्षति, अपहानि, स्वास्थ्य परिसंकट, या क्षोभ कारित करने, सम्पत्ति के नुकसान से निवारित करने के आशय से व्यवस्था बनाए रखने के लिए युक्तियुक्त निदेश दे सकेगा।

सार्वजनिक स्थानों को आरक्षित करने तथा बैरियर स्थापित करने की शक्ति।

112. (1) मजिस्ट्रेट या जिला के पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, सार्वजनिक सूचना (नोटिस) द्वारा, किसी लोक प्रयोजन के लिए, किसी पथ या अन्य सार्वजनिक स्थान को अस्थाई रूप से आरक्षित कर सकेगा और इस प्रकार आरक्षित क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश को, सिवाय ऐसी शर्तों, जैसी सूचना (नोटिस) में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(2) जिला का पुलिस अधीक्षक, उसके नियन्त्रणाधीन किसी पुलिस अधिकारी को, किसी लोक प्रयोजन के लिए अस्थाई रूप से आरक्षित की गई किसी सार्वजनिक सड़क पर बैरियर परिनिर्मित करने या परिनिर्मित करवाने को प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसे आदेश कर सकेगा, जैसे ऐसे बैरियरों का उपयोग विनियमित करने के लिए उचित समझे जाएं और जनता की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले सभी आवश्यक कदमों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

सार्वजनिक स्थानों में और इनके निकट संगीत तथा अन्य ध्वनि प्रणाली (साउन्ड सिसट्मज) के प्रयोग का विनियमन।

113. पुलिस थाना या पुलिस उप–मण्डल का भारसाधक अधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा, पथों में या इसके समीप और सार्वजनिक स्थानों में आसपास के निवासियों के क्षोभ के निवारण के लिए,संगीत, ध्वनियों, प्रस्तुतीकरणों, प्रर्दशनों, प्रसारणों और इसी प्रकार के अन्य क्रियाक्लापों का समय और वाल्यूम (प्रबलता) विनियमित कर सकेगा।

सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर कतिपय अपराधों की बाबत पुलिस अधिकारियों की शक्तियां।

114. (1) वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी के लिए, किसी व्यक्ति को, बिना वारंट के अभिरक्षा में लेना विधिपूर्वक होगा, जो उसकी राय में किसी सड़क, सार्वजनिक स्थान, या सार्वजनिक मार्ग पर राहगीरों को बाधा, क्षोभ, जोखिम, खतरा या क्षति पहुंचाने वाला है, निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है–

(i) किसी पशु का वध करता है या स्वैरिता से क्रूरता करता है; या

(ii) अन्धाधुन्ध या बेतहाशा किसी पशु या घोड़े की सवारी करता है या उसे हांकता है; या

(iii) लोक परिवहन ठहराव स्थान पर यात्रियों को चढ़ाने या उतारने में बाधा डालता है; या

(iv) किसी वस्तु को विक्रय के लिए अभिदर्शित करता है; या

(v) धुत्त (मत्त) या असमर्थ या बलवात्मक पाया जाता है; या

(vi) सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक दृश्यों में स्वयं को अशिष्टता से अभिदर्शित करता है, पेशाब या मलत्याग करता है; या

(vii) राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी लोक प्राधिकरण की किसी सम्पत्ति पर, अप्राधिकृत रूप से कोई बिल, नोटिस या अन्य कागज चिपकाता है या विरूपित करता है; या

(viii) राज्य या केन्द्रीय सरकार या लोक प्राधिकरण की किसी सम्पति का जानूझकर अतिचार करता है; या

(ix) जानबूझकर किसी सार्वजनिक अलार्म या अन्य किसी सार्वजनिक आपातकालीन सहायक पद्धति को क्षति पहुंचाता है; या

(x) महिला को परेशान करता है या लुक–छिपकर पीछा करता है या महिला से अशोभनीय अशिष्ट प्रेमाचार करता है या अश्लील टिक्का टिप्पणी या अंगविक्षण करता है; या

(xi) भीख मांगता या भिक्षा मांगता है।

(2) इस प्रकार गिरफ्तार कोई व्यक्ति, यदि जमानत पर तुरन्त नहीं छोड़ा गया हो, तो उसे अधिकारिता रखने वाले नजदीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यथाशक्यशीघ्र, किन्तु चौबीस घण्टे के अपश्चात् पेश किया जाएगा।

आदेशों या निदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति।

115. (1) जो कोई भी इस अधिनियम की धारा 64, 109, 110, 111, 112 या 113 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह, वर्दी में पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा वारंट के बिना या के निदेश पर, गिरफ्तार किया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि आठ दिन तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु इस प्रकार गिरफ्तार कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, के समक्ष दोषी होने का अभिवचन करके अपराध शमन करवा सकेगा, और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से, ऐसी शमन फीस, जैसी विहित की जाए किन्तु जो जुर्माने की रकम से अधिक न हो स्वीकार कर सकेगा, और शमन फीस के संदाय पर, व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, को तुरन्त छोड़ दिया जाएगा और उसके विरुद्ध और कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(2) जो कोई भी इस अधिनियम की धारा 114 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जो आठ दिन तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगाः

परन्तु इस प्रकार गिरफ्तार कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप–अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, के समक्ष दोषी होने का अभिवचन करके अपराध का शमन करवा सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से विहित की गई शमन फीस जो जुर्माने की रकम से अधिक न हो, स्वीकार कर सकेगा और ऐसी शमन फीस के संदाय पर, व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, को तुरन्त छोड़ दिया जाएगा और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

जिला के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति।

116. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी बात, जिला के मजिस्ट्रेटों के, उन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सौंपे विषयों पर, साधारण नियंत्रण में हस्तक्षेप करने वाली नहीं समझी जाएगी।

पुलिस अधिकारी का, अदावाकृत, सम्पत्ति को अपने भारसाधन में लेना।

117. (1) कर्तव्य पर कोई पुलिस अधिकारी, समस्त अदावाकृत सम्पति को ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अभिरक्षा में ले सकेगा।

(2) अभिरक्षा में ली गई अदावाकृत सम्पति का, जिला पुलिस अधीक्षक या उप–मण्डल पुलिस अधिकारी के अनुमोदन से, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, व्ययन किया जाएगा, और परिवहन, भण्डारकरण तथा सम्पति के व्ययन के खर्चे की कटौती के पश्चात् आगमों को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा।

(3) पुलिस महानिदेशक, वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विनियमों द्वारा समय सीमा नियत कर सकेगा जिसके पश्चात् अदावाकृत सम्पत्ति का व्ययन किया जा सकेगा।

पुलिस के कार्य में बाधा डालना।

118. कोई व्यक्ति, जो किसी पुलिस अधिकारी के विधिपूर्वक कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालता है, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर, तीन माह से अनधिक साधारण कारावास से या पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

पुलिस वर्दी का अप्राधिकृत प्रयोग।

119. जो कोई भी, राज्य पुलिस का सदस्य न होते हुए, राज्य पुलिस की वर्दी या उस वर्दी के रूप अथवा सुभिन्न चिन्ह वाली कोई पोशाक पहनता है, तो वह दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण–पत्र आदि अभ्यर्पित करने से इनकार।

120. जो कोई भी, पुलिस अधिकारी न रहने पर, तत्काल और किसी भी दशा में सात दिन के अपश्चात्, अपनी नियुक्ति का प्रमाणपत्र और उसके कर्त्तव्य के उन्मोचन के लिए दिए गए कपड़े, साजसज्जा तथा अन्य मदें अभ्यर्पित नहीं करता है, तो वह दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

मिथ्या या भ्रामक कथन करना।

121. जो कोई भी, अनुचित लाभ अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से या किसी व्यक्ति को साशय अपहानि पहुंचाने के प्रयोजन से, पुलिस अधिकारी को जानबूझकर मिथ्या कथन या कथन जो तात्विक विशिष्टियों में भ्रामक है करता है,

तो वह, दोषसिद्धि पर कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच हज़ार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

गिरफ्तारी, तलाशी, अभिग्रहण और हिंसा।

122. जो कोई भी पुलिस अधिकारी होते हुए,––

(i) विधिपूर्ण प्राधिकार और युक्तियुक्त कारण के बिना, किसी भवन, जलयान, टैन्ट या स्थान पर प्रवेश करता है या तलाशी लेता है अथवा प्रवेश करवाता है या तलाशी करवाता है; या

(ii) विधिविरूद्धतया या युक्तियुक्त कारण के बिना, किसी व्यक्ति की सम्पत्ति अभिगृहीत करता है; या

(iii) विधिविरूद्धतया या युक्तियुक्त कारण के बिना, किसी व्यक्ति को निरूद्ध रखता है, तलाशी लेता है या गिरफ्तार करता है; या

(iv) विधिविरूद्धतया या युक्तियुक्त कारण के बिना, गिरफ्तार या निरूद्ध किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष पेश करने में विलम्ब करता है जिसके सामने वह ऐसे व्यक्ति को पेश करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है; या

(v) पुलिस अधिकारी के रूप में अपने प्राधिकार के दुरूपयोग द्वारा, चाहे कर्त्तव्यरूढ़ रहते हुए या अन्यथा यौन उत्पीड़न करता है; या

(vi) अपनी अभिरक्षा में व्यक्ति को, जिससे वह अपने कर्त्तव्य के दौरान सम्पर्क में आता है, यातना देता है या किसी प्रकार की विधि विरूद्ध शारीरिक हिंसा करता है; या

(vii) कोई धमकी, जो विधि द्वारा समर्थित न हो, देता है; या दोषसिद्धि पर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हज़ार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

यह अभिवचन कि कार्य वारंट के अधीन किया था।

123. (1) जब किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई या अभियोजन अधिकारी की हैसियत से उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए लाया जाए या कोई कार्यवाही की जाए, तो उसके लिए यह अभिवचन करना विधिपूर्ण होगा कि ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन किया गया था।

(2) ऐसा अभिवचन, उस कार्य का निदेश देने वाला और ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, ऐसा वारण्ट पेश करके सिद्ध किया जाएगा और तब प्रतिवादी, ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में कोई त्रुटि होने पर भी अपने पक्ष में डिक्री पाने का हकदार होगा । जब तक न्यायालय को ऐसे मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के असली होने पर शंका का कारण न हो उसके हस्ताक्षर को सिद्ध करना आवश्यक न होगाः

परन्तु, सदैव यह कि कोई ऐसा वारण्ट जारी करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध जो कोई उपचार पक्षकार को प्राप्त है, वह इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से प्रभावित नहीं होगा।

पुलिस अधिकारियों का अभियोजन।

124. (1) कोई भी न्यायालय जब अभियुक्त व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी हो नियुक्ति या अनुशासन प्राधिकारी की लिखित रिपोर्ट के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(2) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय जब अभियुक्त व्यक्तियों में से कोई पुलिस अधिकारी हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) किसी भी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध उसके द्वारा कर्त्तव्यों के सद्भावपूर्वक पालन में सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य या लोप के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

अन्य विधियों के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन।

125. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन इस अधिनियम की कोई बात, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय बनाई गई किसी बात के लिए किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजन चलाने और दण्ड देने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

कतिपय मामलों का संक्षिप्त निपटारा।

126. (1) इस अधिनियम की धाराओं 64, 109, 110, 111, 112, 113 या 114 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान करने वाला कोई न्यायालय, अभियुक्त व्यक्ति पर समन की तामील होने पर कथन कर सकेगा कि वह आरोप की सुनवाई से पूर्व विनिश्चित तारीख तक रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आरोप का दोषी होने का अभिवचन कर सकेगा तथा पांच हजार रुपए से अनधिक ऐसी राशि, जैसी समन में विनिर्दिष्ट की जाए, न्यायालय के पास भेज सकेगा।

(2) जहां कोई अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है और समन में विनिर्दिष्ट राशि को भेजता है, तो उस अपराध के विषय में उसके विरुद्ध कोई आगामी कार्यवाहियां नहीं की जाएगी।

शास्तियों और जुर्मानों की वसूली।

127. भारतीय दण्ड संहिता, 1973 की धाराओं 64 से 70 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराओं 421 से 425 के उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन शास्तियों, जुर्मानों या किसी अन्य संदेय राशि को लागू होंगे।

परिसीमा।

128. कोई भी न्यायालय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 468 में उपबन्धित परिसीमा की अवधि के अवसान के पश्चात्, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा और परिसीमा के प्रयोजन के लिए संहिता के अध्याय 36 के उपबन्ध लागू होंगे।

निदेशों और सार्वजनिक सूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए प्रक्रिया।

129. (1) इस अध्याय के अधीन जारी सभी साधारण निदेश, विनियम, या सार्वजनिक सूचनाएं (पब्लिक नोटिस), अधिकारिता रखने वाले सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट, उप–मण्डल मजिस्ट्रेट, उप–मण्डल पुलिस अधिकारी के कार्यालय, पुलिस थाना, पंचायतों के कार्यालय में और उससे प्रभावित क्षेत्र (इलाके) में, यथास्थिति, भवनों, संरचना, कार्य या स्थान जिससे यह विशिष्टतया संबंधित है, के समीप सहजदृश्य स्थानों में इसकी प्रतियां चिपका कर अथवा ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों और सरकारी वैबसाइटों सहित अन्य संचार माध्यमों जो पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थाई आदेश द्वारा विहित किए जाएं, विज्ञापित करके प्रकाशित किए जाएंगे।

(2) यदि इस धारा के अधीन किया गया कोई निदेश या आदेश, किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित है जिसकी बाबत लोक स्वास्थ्य, सुविधा या क्षेत्र (इलाके) की सुरक्षा के सम्बन्ध में नगर निगम, नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरणों

की किसी अन्य विधि, नियम या उपविधियों में उपबन्ध है, तो ऐसा निदेश या आदेश ऐसी विधि, नियम या उप–विधियों के अध्यधीन होगा।

अध्याय–15

प्रकीर्ण

फीस और पुरस्कारों का निपटारा।

130. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी तारीख से, जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, ''हिमाचल प्रदेश पुलिस निधि'' के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा।

(2) निधि राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन होगी और ऐसी धनराशियां, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध करवाई गई हों, निधि में जमा की जाएगी तथा निधि का जमा अतिशेष वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत नहीं होगा।

(3) पुलिस महानिदेशक निधि के उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा लेखों की वार्षिक विवरणी ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, तैयार करेगा।

(4) निधि इस अधिनियम के अधीन बेहतर पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) से सम्बद्ध उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपयोग मे लाई जाएगी।

(5) निधि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशासित की जाएगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन जारी अनुज्ञप्तियों या लिखित अनुज्ञा के लिए संदत्त समस्त शास्तियां और फीस के आगम और पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया की तामील के लिए संदत्त सभी राशियां तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा संदत्त सभी पुरस्कार, समपहरण और शास्तियां या उनके भाग, जो पुलिस अधिकारियों को भेदिया के रूप में विधि द्वारा संदेय है, सिवाय ऐसी किसी फीस या राशियों को, जो किसी स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित है, राज्य की संचित निधि में जमा

की जाएंगी और यदि राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा ऐसा उपबन्ध करे, निधि ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग करने के लिए विनियोजित की जाएगी।

(7) निधि की संपरीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के परीक्षक द्वारा की जाएगी।

आदेशों और अधिसूचनाओं को साबित करने का ढंग।

131. इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन जारी किसी आदेश या अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र, जिसमें वह प्रकाशित है, की प्रति अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रति की प्रमाणित सही प्रति प्रस्तुत करके साबित की जा सकेगी।

नियमों और आदेशों की विधिमान्यता।

132. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध के अधीन बनाए गए या प्रकाशित नियम,विनियम, जारी आदेश, निदेश या अधिसूचनाएं तथा किया गया न्यायनिर्णयन, जांच या कार्य जो सारतः उनके अनुकूल हो, प्ररूप की किसी त्रुटि के कारण अवैध, शून्य या अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

रिक्तयों के प्रभार रखने वाले या उनके उत्तरवर्ती अधिकारियों का शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होना।

133. जब भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का पद किसी भी कारण से रिक्त होता है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के पद के प्रभार को चाहे अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से धारण करने वाला अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने और उसको दिए गए सभी कर्त्तव्यों का पालन करने में सक्षम होगा।

अनुज्ञप्तियां और शर्तें विनिर्दिष्ट करने की लिखित अनुज्ञा।

134. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा, उस अवधि, क्षेत्र (इलाके) तथा उन शर्तों और निर्बन्धनों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके अध्यधीन यह प्रदान की गई है और सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षराधीन दी जाएगी तथा ऐसी फीस के संदाय के अध्यधीन होगी, जैसी विहित की जाए।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा प्रदान की गई है, जब तक यह प्रवृत्त रहती है, यदि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षित है उसे सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रस्तुत करेगा।

अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण और इसके परिणाम।

135. (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय निलंबित या प्रतिसंहृत की जा सकेगी यदि इसकी शर्तों या निर्बन्धनों में से किसी का अतिक्रमण किया गया हो, या यदि वह व्यक्ति जिसको यह प्रदान की गई है, ऐसी अनुज्ञा से संबन्धित किसी अपराध का सिद्धदोष हो।

(2) यदि कोई ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा, निलंबित या प्रतिसंहृत या समाप्त हो गई है, तो उस व्यक्ति, जिसे ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा प्रदान की गई थी, को तब तक अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के बिना समझा जाएगा जब तक उसके, यथास्थिति, निलंबन या प्रतिसंहरण के आदेश का रद्दकरण या अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं होता।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति, जिसको अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा दी गई है, की ओर से कार्य करने वाले सेवक या अभिकर्ता द्वारा किए गए किसी ऐसे अतिक्रमण को, उस व्यक्ति द्वारा किया गया अतिक्रमण समझा जाएगा जिसको ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा प्रदान की गई है।

सार्वजनिक सूचनाएं (नोटिस) कैसे दी जाएंगी।

136. इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई सार्वजनिक सूचना (नोटिस), लिखित में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षराधीन होगी, और उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र (इलाके) में सहजदृश्य सार्वजनिक स्थानों में इसकी प्रतियां चिपकाकर, या सार्वजनिक स्थानों में लाऊडस्पीकर अथवा अन्य साधनों का प्रयोग करके उद्घोषणा द्वारा, या ऐसे स्थानीय अंग्रेजी या हिन्दी समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, जैसा उक्त प्राधिकारी उचित समझे, प्रकाशित की जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी की सहमति उसके हस्ताक्षर से लिखित दस्तावेज द्वारा साबित की जा सकेगी।

137. जब भी इस अधिनियम के अधीन, किसी बात का किया जाना या लोप किया जाना या किसी बात की विधिमान्यता सक्षम प्राधिकारी की सम्मति, अनुमोदन, घोषणा, राय या समाधान पर निर्भर करती है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी सम्मति, अनुमोदन, घोषणा, राय या समाधान करने या देने का तात्पर्यित हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज ही उसका पर्याप्त साक्ष्य होगा।

सूचनाओं (नोटिसों) पर हस्ताक्षर स्टाम्पित हो सकेंगे।

138. प्रत्येक अनुज्ञप्ति, लिखित अनुज्ञा, सूचना (नोटिस) या अन्य दस्तावेज, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समन, या वारण्ट या तलाशी वारण्ट नहीं है, पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उचित तौर पर हस्ताक्षरित समझे जाएंगे यदि यह उसके द्वारा जारी करने के लिए प्राधिकृत है तथा उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप उस पर स्टांपित है।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

139. इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई पैदा होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा कोई भी बात, जो उसके उपबन्धों के साथ असंगत न हो, जो इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती है, कर सकेगी और इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश, राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा जाएगाः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

व्यथित व्यक्ति किसी भी नियम या आदेश को बातिल (निष्प्रभाव) करने, उलटने या परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा।

140. इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी प्राधिकार के अधीन लोगों या विशिष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों से कतिपय कर्त्तव्यों या कृत्यों जो उनके नियंत्रणाधीन है को, स्वयं या वर्णित रीति में करने की अपेक्षा करते हुए राज्य सरकार द्वारा बनाए किसी नियम या दिए गए किसी आदेश द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित कोई व्यक्ति, राज्य सरकार को उक्त नियम या आदेश को बातिल (निष्प्रभाव) करने, उलटने या परिवर्तन करने के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा।

नियम बनाने की शक्ति।

141. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात, यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक

बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो ऐसा नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही, यथास्थिति, प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विनियम बनाने की शक्ति।

142. पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और इस अधिनियम की धारा 141 के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

स्थायी आदेश जारी करने की शक्ति।

143. (1) पुलिस महानिदेशक इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए स्थायी आदेश जारी कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अध्यधीन पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप–महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, और बटालियन का कमांडेट (समादेशक), उस प्राधिकारी, जिसके वे प्रत्यक्षतः अधीनस्थ है, के पूर्व अनुमोदन से और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर स्थायी अनुदेश जारी कर सकेगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

144. (1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 88 के फलस्वरूप इसकी धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में यथा प्रवृत्त और हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 के फलस्वरूप प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू पुलिस अधिनियम, 1861 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) का, जहां तक कि यह हिमाचल प्रदेश में लागू है, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अधिनियम के अधीन किए गए

निरसनों, जारी की गई अधिसूचना, जारी किया गया नियम, किया गया आदेश, किया गया रजिस्ट्रीकरण, की गई नियुक्ति,दिया गया प्रमाण–पत्र, दिया गया नोटिस, किया गया विनिश्चय, दिया गया निदेश, किया गया अनुमोदन, प्राधिकार, दी गई सम्मति, किया गया अनुरोध या की गई कोई बात यदि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रवृत्त है, तो उसी प्रकार प्रवृत्त बनी रहेगी तथा इसी प्रकार प्रभावी होगी मानों वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई, जारी की गई या दी गई हो।

(3) उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध की किसी अधिनियमिति के समस्त निर्देश इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के निर्देशों के अर्थ के अन्तर्गत होंगे।

(4) हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू पंजाब पुलिस रूल्ज, 1934 इसके किसी उपबंध के इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत होने के सिवाय, प्रवर्तन में बने रहेंगे मानो कि ये इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन बनाए गए हों।

2007 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां।

145.(1) हिमाचल प्रदेश पुलिस अध्यादेश, 2007 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची–1

(धारा 24 और 35 देखें)

प्रथम नियुक्ति पर शपथ या प्रतिज्ञान

''मैं,..... हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों को भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।

अनुसूची–2

(धारा 25 और 36 देखें)

नियुक्ति का प्रमाणपत्र

राज्य */जिला नामांकन संख्या :–

''....., को हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 के उपबन्धों के अधीन हिमाचल प्रदेश की पुलिस सेवा के सिविल / सशस्त्र' अराजपत्रित पुलिस अधिकारी ग्रेड–I / II* के रूप में नियुक्त किया गया है और उसमें अधिनियम के अधीन सिविल / सशस्त्र' पुलिस अधिकारी की शक्तियों कृत्यों और विशेषाधिकारों के साथ–साथ कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व भी निहित किए गए हैं।

*जो लागू न हो काट दें

स्थान.....

तारीखः

नियुक्ति प्राधिकारी का नाम और पदनाम

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पुलिस को पुनः संगठित करने और अपराध के निवारण तथा रोकथाम के लिए इसे और अधिक दक्ष माध्यम बनाने हेतु वर्ष 1861 में पुलिस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के साथ–साथ उस समय के ब्रिटिश (बर्तानवी) भारत में इसके माध्यम से एकरूप आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित हुई । दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिससे न्यायपालिका का कार्यपालिका से और अभियोजन का पुलिस से पृथक्करण पूर्ण हुआ । पुलिस अधिनियम तथापि और तीस वर्षों के लिए प्रवृत्त रहा, यद्यपि राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977–1981) द्वारा न केवल पुलिस पर अधीक्षण और नियंत्रण हेतु प्रणाली बदलने के लिए अपितु पुलिस की भूमिका बढ़ाकर इसे एक अभिकरण, जो देश में विधि सम्मत शासन का संवर्धन करे तथा समुदाय को निष्पक्ष सेवा प्रदान करे, के रूप में क्रियाशील बनाने हेतु नया पुलिस अधिनियम अधिनियमित करने के लिए पुरजोर सिफारिश की गई।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट में एक मॉडल पुलिस अधिनियम सम्मिलित था, जिसका विस्तृत रूप में परीक्षण किया गया और पुलिस सुधारों पर रिबैरो समिति (1998) तथा पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) और आपराधिक न्याय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा तत्पश्चात् गठित पुलिस सुधारों पर पदमनाभैय्या समिति (2000) सहित विभिन्न समितियों ने असंख्य सुधारों (उपान्तरणों) की सिफारिश की । वर्ष, 2005 में भारत सरकार ने विख्यात विधिवेत्ता श्री सोली सोराबजी के अधीन एक प्रारूपण समिति का गठन किया जिसमें पूर्व में की गई विभिन्न सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल पुलिस अधिनियम को अन्तिम रूप दिया जिसे भारत सरकार द्वारा 31–10–2006 को समस्त राज्यों को मॉडल अधिनियम की वांछनीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए परिचालित किया गया।

इस प्रकार विधि व्यवस्था के साथ–साथ अपराध के अन्वेषण के संचालन की समुचित योग्यता सहित व्यावसायिक (पेशेवर), आधुनिक, दक्ष तथा नागरिक स्नेही पुलिस बल का सृजन करने के लिए, पुलिस की स्थापना और प्रबन्धन से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने का विनिश्चय किया। एक ओर पुलिस को आधुनिक समय की पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) में चुनौतियों का सामना करने के लिए समुचित रूप से सशक्त करने के लिए पर्याप्त क्रियाशील स्वशासन सुलभ (उपलब्ध) करवाया गया है और दूसरी ओर इसके द्वारा की गई कार्रवाईयों के प्रति जवाबदारी, पुलिस बोर्ड के माध्यम से व्यवस्थित स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण के माध्यम से, सुनिश्चित की गई है।

क्योंकि विधानसभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम को अधिनियमित करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के

खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश पुलिस अध्यादेश, 2007 (2007 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1) 15–7–2007 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 16–7–2007 को प्रकाशित किया गया था। जब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापन किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख ....., 2007.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 48 और 94, राज्य पुलिस बोर्ड तथा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, जो सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों से समाविष्ट होगा, की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए हैं। इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 52 और 95 गैर सरकारी सदस्यों की बैठक (सिटिंग) फीस तथा यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते के संदाय हेतु उपबन्ध करने के लिए हैं और इस प्रकार उक्त के मद्दे नाममात्र का अतिरिक्त आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा। राज्य गुप्तचर विभाग (स्टेट सी0 आई0 डी0) को आपराधिक अन्वेषण विभाग से पृथक्करण से तथा राज्य पुलिस बेतार संगठन का दर्जा बढ़ा कर संचार और तकनीकी सेवाएं निदेशालय बनाए जाने से नाममात्र का अतिरिक्त आवर्ती व्यय भी हो सकेगा जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 141 राज्य सरकार को इस विधेयक के सभी या उनमें से किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु नियम बनाने के लिए, सशक्त करता है। इसके अतिरिक्त, विधेयक के खण्ड 142 और 143 इस विधेयक के सभी या उनमें से किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिए विधेयक के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन पुलिस महानिदेशक को विनियम बनाने और स्थायी आदेश जारी करने तथा पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप–महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को स्थायी निदेश जारी करने के लिए सशक्त करने के लिए हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(गृह विभाग, नस्ति संख्याः गृह(ए)ए(3)1 / 94–IV)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस विधेयक, 2007 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, उपरोक्त विधेयक को राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश पुलिस विधेयक, 2007

पुलिस की स्थापना और प्रबन्धन से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक।**

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

जे0एन0 बारोवालिया,
प्रधान सचिव (विधि)।
शिमला :.....
तारीख....., 2007.